नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2014

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–पार्ट, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :–

अवधि	अध्यक्ष का नाम	कार्यकारी अधिकारी का नाम
1.4.2012 से 17.7.2013 तक	श्रीमती अलका वर्मा	श्री सुधीर शर्मा
18.7.2013 से 31.3.2014 तक	श्रीमती अलका वर्मा	श्री पुरषोतम चौधरी

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में) (₹)
1.	ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना पर निष्फल व्यय	59	78.21
2.	नगरपालिका निधि से पैंशन एवं उपदान निधि में अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान	25	39.15
3.	अनुदान की धनराशि 31.3.14 को व्यय/उपयोग हेतु शेष	5(1)	33.84
4.	तकनीकी अनुमान से अधिक राशि पर ठेकेदार को कार्य का अनियमित आबंटन करना	54(2)	33.25
5.	रोकड़ बही में प्राप्त ब्याज की राशि का लेखांकन न करना तथा राशि का सावधिक जमा में निवेश की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण ब्याज से होने वाली अतिरिक्त आय की सम्भावित हानि	4(2)	27.53
6.	दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष राशि	9	23.96

7.	निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की 7. शर्तानानुसार ठेकेदारों से दण्ड शुल्क की वसूली न करना	56	9.78
8.	अस्थाई अग्रिमों की समायोजन हेतु शेष राशि	11	5.47
9.	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (SJSRY) की अनुदान धन राशि का समय से उपयोग न करने के कारण सम्बन्धित लाभार्थियों को लाभों से वंचित करना	5(2)	5.46
10.	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में Deviation राशि का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान	58	4.53
11.	नगर परिषद निधि से पैन्शन राशि का अनियमित भुगतान	28	2.90
12.	प्लाटों के देय किराए की वसूली हेतु शेष राशि	10	2.11
13.	मोबाईल टॉवर शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि	15	0.60
14.	अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को अनियमित रूप से अधिक भुगतान	54(5)	0.52
15.	कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा Quoted व negotiated दरों में संशयपूर्ण बदलाव करने के कारण अधिक भुगतान	44(1)	0.49
16.	बिक्री कर व आयकर के रूप में सम्बन्धित विभाग को ठेकेदार के निर्माण कार्यों के बिलों से काटी गई राशि से अधिक जमा/भुगतान	54(1)	0.48
17.	निर्माण कार्यों में प्रयोग किए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर रायल्टी की वसूली न करना	57	0.43
18.	मकान किराया भत्ता गलत दर से आहरण करने के कारण अधिक भुगतान	30	0.34
19.	वस्तुओं का भण्डार (Stock) में कम गणना करने के कारण सम्भावित दुर्विनियोजन	64	0.34
20.	दुकानों/प्लाट के किरायेदारों से देय विलम्ब शुल्क की कम वसूली करना	16	0.32
21.	बैंक द्वारा सावधिक जमाओं पर प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर काटे गए आयकर को वापिस प्राप्त न करना	6(1)	0.51
22	गलत गणना के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान	45(2)	0.30
23	कालातीत हो चुकी प्रतिभूति जमा राशियों का वापसी भुगतान करना	60	0.19

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2014 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, दिनांक 2.1.2015 से 11.3.2015 तक श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक द्वारा नगर परिषद नालागढ़ स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 6/2012 तथा 4/2013 एवं व्यय के लिए 5/2012 तथा 12/2013 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए।

वर्तमान अकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद कार्यालय नालागढ़ द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 4/2012 से 3/2014 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹46,000/– आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़ से सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 31/2015, दिनांक 9.3.2015 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹46,000/– इलाहाबाद बैंक नालागढ़ के डिमांड ड्राफ्ट संख्याः MBC/G242514, दिनांक 10.3.2015 के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्याः

MC/NLG/2015,201-202, दिनांक 11.3.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(1) नगर परिषद नालागढ़ की अवधि 4/2012 से 3/2014 तक के लेखाओं पर आधारित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :–

वित्त वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय/प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2012–13	स्वतः स्त्रोत	19306829.45 *(–) 24219 19282610.45	18266101	37548711.45	9157681	28391030.45
	अनुदान	14138365 *(+) 24219 14162584	12951604	27114188	26357810	756378
	कुल जोड	33445194.45	31217705	64662899.45	35515491	29147408.45
2013–14	स्वतः स्त्रोत	28391030.45	** 18174165	46565195.45	30514629	16050566.45
	अनुदान	756378	15778079	16534457	13150957	3383500
	कुल जोड	29147408.45	33952244	63099652.45	43665586	19434066.45

नोट :

* अनुदान व स्वतः स्त्रोत के दिनांक 1.4.2012 को आरम्भिक शेष में पूर्व के आपसी अन्तर का समायोजन

**गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012 तक के पैरा संख्याः 6.3 में वर्णित वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ बही में अन्तर/समाधान का शुद्धिकरण/समायोजन के परिणामस्वरूप सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज से आय ₹2,03,764/– भी सम्मिलित है।

दिनांक 31.3.2014 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	**= 1,94,34,066.45**
(क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2007 से 3/2010 तक पैरा संख्याः 4 में वर्णित वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ बही में अन्तर/समाधान जिसका शुद्धिकरण/समायोजन रोकड बही में अभी तक नहीं किया गया है।	= (–) 3,29,906.49
दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही/बही खातों के अनुसार शेष	**= 1,91,04,159.96**
दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही में विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत	**= 1,80,54,592.96**

राशि के अन्तिम शेष

(परिशिष्ट–''ख'')

दिनांक 31.3.2014 को विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के वास्तविक शेष (निम्न विवरणानुसार 17063639.96 + 3733156) = 2,07,96,795.96

बैंक समाधान विवरणी

Closing Balance as per cash book /Fianacial position as on 31-03-14					**19104159.96**
Add:-	Cheque issued but not presented for payment till 31.03.14 (Detail enclosed with Annexure- ''ख'')				94339.00
Add:-	Interest credited but not A/c for in cash book				
Name of bank		**A/C No.**	**Date/Period of Credit**	**Amount (Rs.)**	
PNB Nalagarh(SWM)		2821000109283130	26.03.07 to 31.03.14	2720541	
PNB Nalagarh		2721000100130640	24.03.14	27920	2750218.00
SBOP Nalagarh (Noarad)		55123452166	before 01.04.12 to 31.03.14	1757	
Add:-	Interest received & Re-invested in FDR but not A/C for in cash book till 31.03.14				2789.00
Less:-	Cheque received but not realized till 31.03.14 (Detail enclosed with Annexure- ''ख'')				1111767.00
Less:-	Income of dated 31.03.14 deposited in bank on 02.04.14				32139.00
Less:-	Excess accountal of interest (received on FDRs) in the cash book.				
Name of bank		**A/C No.**	**Date/Period of Credit**	**Amount (Rs.)**	
PNB Nalagarh		12823227210006213	30.06.13 =724 31.03.14=2522	3246	
					10744.00
PNB Nalagarh		12823327210006222	30.06.13 =1672 31.03.14=5826	7498	
Less:-	Less credit of interest given by the bank.				60
Closing Balance as per pass book as on 31-03-2014					**20796795.96**

बैंक बचत खातों में दिनांक 31.3.2014 को अन्तिम शेष का विवरण

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक के अनुसार अन्तिम शेष (₹)	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष (₹)	अन्तर (₹)
1	Allahabad bank Nalagarh	21698817249	8721355.44	8721355.44	Nil
2	State Bank of Patiala Nalagarh (Main)	55123451865	268757.60	268757.60	Nil
3	State Bank of Patiala Nalagarh (ADB)	65053606629	1439865.00	1439865.00	Nil
4	State Bank of Patiala Nalagarh (IDSMT)	55123452235	3319034.09	3319034.09	Nil
5	State Bank of Patiala Nalagarh (Noarad)	55123452166	7232.36	5475.36	(-) 1757.00
6	PNB Nalagarh	2721000100130647	64114.73	36194.73	(-) 27290.00
7	PNB Nalagarh (SWM)	2721000109283137	2720541.00	Nil	(-) 2720541.00
8	Jogindra Central co-op Bank Nalagarh	11432 (old) 101334029000303 (New)	160607.00	160667.00	(+) 60.00
9	Jogindra Central Co-op Bank Nalagarh	515 (old) 102334001001604 (New)	76636.00	76636.00	Nil
10	UCO Bank Nalagarh	20170110006450	195936.74	195936.74	Nil
11	Central Bank of India-Nalagarh	1675771853	89560.00	89560.00	Nil
		कुल जोड़	**17063639.96**	**14313481.96**	**(-) 2750158.00**

सावधिक जमा में दिनांक 31.3.2014 को अन्तिम शेष का विवरण

क्र0 सं0	बैंक का नाम	सावधि जमा खाता/रसीद संख्या	निवेश/ परिपक्वता तिथि/ (ब्याज दर)	वास्तविक निवेशित राशि (₹)	रोकड़बही में अन्तिम शेष में ली गई निवेशित राशि (₹)	अन्तिम शेष में अन्तर (₹)	सावधिक जमा रजिस्टर पृष्ठ संख्या
1	PNB Nalagarh	TAH128232 27210006213	5-6-13/ 5-6-14(9%)	111377	114623	(+)3246	11
2	PNB Nalagarh	TAH128233 27210006222	5-6-13/ 5-6-14(9%)	257246	264744	(+)7498	7
3	PNB Nalagarh	2721000140	28-6-13/ 28-6-14(9%)	594339	594339	nil	15
4	PNB Nalagarh	2721000104	13-2-13/ 13-8-14 (8.75%)	1006287	1006287	nil	19
5	State Bank of Patiala Nalagarh	061952 55123513754	14-2-14/ 14-5-14(8%)	370801	368012	(-)2789	1
6	Jogindra Central Co-op Bank Nalagrah	128822 1013360110015391620	28-3-14/ 28-3-15(9%)	1393106	1393106	nil	4
			कुल योग	**3733156**	**3741111**	**(+)7955**	

(परिशिष्ट–''ख'')

(क) दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही/बही खातों एवं विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के शेष में अन्तर (₹19104159.96 – ₹18054592.96) =(–) ₹10,49,567

(ख) दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही मे विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के अन्तिम शेष एवं वास्तविक शेष के अन्तर (₹20796795.96 – ₹18054592.96) **= (+) ₹27,42,203**

शुद्ध अन्तर (क–ख) (₹20796795.96 – ₹19104159.96) = (+) ₹1692636

(2) रोकड़ बही में लगभग ₹27.53 लाख के प्राप्त ब्याज की राशि का लेखांकन न करना तथा राशि को सावधिक जमा में निवेश करने की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण ₹1.40 लाख ब्याज से होने वाली अतिरिक्त आय की सम्भावित क्षति

रोकड़ बही लेखों के रख–रखाव सम्बन्धी नियम हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 4.2 में दिए गए हैं जिसके उप नियम 2.2(ii) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur

and attested by the Head of office in token of check". परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख तथा अंकेक्षण द्वारा अपने स्तर पर पंजाब नैशनल बैंक से प्राप्त सूचना (**परिशिष्ट–''ख''**) के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार लगभग ₹27.53 लाख के प्राप्त ब्याज की राशि का रोकड़ बही में लेखांकन ही नहीं किया गया था जोकि उक्त वर्णित नियमों की सरासर उलंघना है तथा एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है इसके अतिरिक्त इतनी बड़ी राशि के बचत खाते में जमा रहने से ब्याज की अतिरिक्त आय से परिषद को वंचित होना पड़ा है यदि यह राशि सावधिक जमा में निवेशित की गयी होती तो कम से कम 5% की दर से अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता तथा एक वर्ष की अवधि हेतु ही लगभग ₹1,40,252 ⁄ – की अतिरिक्त आय प्राप्त होती :–

Name of Bank	**Account Number**	**Date/Period of Credit**	**Amount (₹)**
PNB Nalagarh (SWM)	2721000109283137	26-3-2007 to 31-3-2014	2720541.00
PNB Nalagarh	2721000100130647	24-3-2014	27920.00
State Bank of Patiala Nalagarh (Noarad)	55123452166	Before 1-4-2012 to 31-3-2014	1757.00
ADD: Interest received & Reinvested in FDR but not A/c for in cash book till 31-3-2014			
State Bank of Patiala Nalagarh	061952 55123513754	14-2-2014	2789.00
		Total	**₹27,53,007.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 19 ⁄ 2015, दिनांक 7.2.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिस सम्बन्ध में मौखिक तौर पर सूचित किया गया कि वास्तविकता में परिषद पंजाब नेशनल बैंक नालागढ़ (SWM) में बचत खाता संख्या 2721000109283137 और इसमें समय–समय पर वित्त वर्ष 2007–08 से लेकर वर्ष 2013–14 तक की अवधि में जमा होती रही राशि ₹27,20,541 ⁄ – से अनभिज्ञ रही जिसके कारण वर्णित त्रुटि रह गयी जिसका समाधान अब रोकड़ बही में प्राप्त राशि का लेखांकन व सावधिक जमा में इसका निवेश करके कर दिया जायेगां अतः सूचित कार्यवाही के अतिरिक्त उक्त वर्णित प्राप्त ब्याज की अन्य राशियों का भी रोकड़ बही में लेखांकन तथा अतिरिक्त ब्याज राशि ₹1,40,252 ⁄ – की हानि की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जाए।

(3) रोकड़ बही में सावधि जमा पर देय ब्याज ₹10744 को वास्तविकता में प्राप्त किए बिना ही प्राप्त एवं सावधिक जमा में पुनः निवेशित किया दर्शाना

निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड़ बही में सावधिक जमा पर देय ब्याज ₹10,744/– को वास्तविकता में प्राप्त किए बिना ही प्राप्त एवं सावधिक जमा में पुनः निवेशित किया दर्शाया गया था जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब भविष्य में सावधिक जमा की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले वास्तविक ब्याज की राशि से समायोजित करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Name of Bank	FDR A/c No.	Date of Receipt & Re-investment	Amount (₹)	Cash Book Page No
PNB Nalagarh	TAH128232	30-6-2013 = 724	3246.00	35
	27210006213	31-3-2014 =2522		105
PNB Nalagarh	TAH128233	30-6-2013 =1672	7498.00	35
	27210006222	31-3-2014 =5826		105
			₹10,744.00	

(4) बैंक द्वारा ₹60 की राशि का कम जमा प्रदान करना

परिषद द्वारा दिनांक 3.8.2012 को Jccb नालागढ़ में बचत खाता संख्या 11432 (old) 101334029000303 (New) में Ch. NO. 1023102=₹93884 का जमा करवाया था किन्तु बैंक ने केवल ₹93,824/– ही जमा प्रदान किया जोकि ₹60/– कम था। अतः अब इस राशि का जमा सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 अनुदान

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट–''ग''** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 4/2012 से 3/2014 के दौरान अनुदान की प्राप्तियाँ एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :–

(1) ₹33.84 लाख अनुदान की धनराशि 31.3.14 को व्यय/उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट–''ग''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2014 को ₹33,83,500/– की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर या सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर विहित उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना

सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (SJSRY) की ₹5,46,383 की अनुदान धनराशि का समय से उपयोग न करने के कारण सम्बन्धित लाभार्थियों को लाभों से वंचित करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (SJSRY) के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान व खर्च की गई धनराशि का विश्लेषण निम्न प्रकार से है :–

वित्त वर्ष	अनुदान का आरम्भिक शेष (₹)	वित्त वर्ष में अनुदान से प्राप्त कुल धनराशि (₹)	अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशि (₹)	वित्त वर्ष में अनुदान से कुल व्यय (₹)	अनुदान की अनुपयोग धनराशि का अन्तशेष (₹)	वित्त वर्ष में अनुदान से कुल व्यय की प्रतिशतता
2012–13	1,85,000	5,44,838	7,29,838	2,16,506	5,13,332	29.67%
2013–14	5,13,332	33,051	5,46,383	Nil	5,46,383	0%

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट विदित होता है कि SJSRY योजना हेतु उपलब्ध धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2012–13 में केवल 29.67% तथा 2013–14 में 'शून्य' धनराशि ही खर्च की गई इस प्रकार उपलब्ध धनराशि का 100% उपयोग न करने के कारण ₹5.46 लाख की सरकारी निधि अवरूद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित जनता को सरकार की विकासात्मक योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा। यह प्रकरण निदेशक/सचिव, स्थानीय शहरी निकाऐं, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में अनुदानों की धनाराशि का उपयोग समयानुसार सुनिश्चित करवाए जाने हेतु लाई जाती है ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सम्बन्धित लोगों को समय से पहुंच सके।

(3) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण की अवधि 4/2012 से 3/2014 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण का ब्यौरा नहीं रखा गया था जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदनुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निवेश

दिनांक 31.3.2014 को विभिन्न खातों में निवेशित राशि का विवरण **परिशिष्ट–"ख"** में दिया गया है। अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेश से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताएं निम्न प्रकार से हैं :–

(1) बैंकों द्वारा सावधि जमाओं पर प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर काटे गए आयकर की राशि ₹0.51 लाख प्रत्यर्पण प्राप्त न करना

निवेशों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख **(परिशिष्ट–"घ")** के अवलोकन में पाया गया कि बैंकों द्वारा सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर पहले आयकर की कटौती की गई थी तथा बाद में काटी गई राशि को वापिस परिषद के बचत खाते में जमा किया गया क्योंकि नियमानुसार परिषद की आय, आयकर से मुक्त है किन्तु निम्नलिखित प्रकरणों में स्त्रोत आयकर राशि की कटौती को वापिस प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई प्रमाण अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया जिस सम्बन्ध में अब पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति का पता लगाया जाए तथा वर्णित राशि वापिस प्राप्त नहीं हुई हो तो इसे सम्बन्धित स्त्रोत से प्राप्त करके परिषद निधि में जमा करवाया जाए :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	सावधि जमा खाता या रसीद संख्या	स्त्रोत पर आयकर कटौती की तिथि	स्त्रोत पर आयकर कटौती की राशि जो वापिस प्राप्त नहीं हुई (₹)		
1.	SBOP	55123513754	18-11-11	1163	1727	2890
			17-2-12	1174	-	1174
			17-8-12	1339	721	2060
			16-11-12	1357	-	1357
			15-2-13	1207	-	1207
			15-11-13	1174	1861	3035
			14-2-14	1456	-	1456
			Total	**₹8870**	**₹4309**	**₹13179**
2.	PNB	2721000104	13-7-12			57
			26-9-12			2622
			27-12-12			2621
			23-9-13			2697
			30-12-13			2696
			24-3-14			2638

			Total	**₹13331**
3.	PNB	2721000140	26-9-12	4652
			27-12-12	4651
			13-2-13	2244
			23-9-13	4438
			30-12-13	4439
			24-3-14	4342
			Total	**₹24766**
			G. Total (1+2+3)	**₹51276**

7 आय

(1) 1617 प्राप्त आय की राशि को रोकड़ बही में कम गणना/बैंक खातों में भी कम जमा करना

रोकड़ बही में आय/प्राप्तियों के योग में पाई गई त्रुटियों के कारण निम्न विवरणानुसार ₹224/– की राशि बैंक खातों में कम जमा की गई थी :–

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	रोकड़ बही में गणना/बैंक में जमा की दिनांक	रोकड़ बही प्राप्त में आय/प्राप्तियों की राशि (₹)	बैंक में जमा राशि (₹)	बैंक में कम जमा राशि (₹)
130	18.7.12/19.7.12/21.7.12	137380	137340	40
151	15.9.12/17.9.12	84803	84703	100
165	6.11.12/7.11.12	74692	74690	2
177	18.12.12/19.12.12	3213	3193	20
187	31.1.13/1.2.13	11701	11691	10
4	15.3.13/16.3.13	1927	1917	10
13	12.4.13/16.4.13	14545	14535	10
14	20.4.13/22.4.13	7038	7030	8
24	18.5.13/21.5.13	3268	3263	5
50	24.8.13/26.8.13	51010	51000	10
55	11.9.13/12.9.13	15204	15203	1
65	15.10.13/17.10.13	28486	28485	1
79	2.12.13/3.12.13	424809	424802	7
	कुल जोड	**858076**	**857852**	**224**

इसी प्रकार विभिन्न रसीदों के प्राप्त आय की राशि को रोकड़ बही में कम गणना करने की त्रुटियों के कारण निम्न विवरणानुसार ₹1393 की राशि बैंक खातों में भी कम जमा की गई थी:–

क्र0 सं0	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या/दिनांक	आय की वास्तविक प्राप्त राशि (₹)	रोकड़ बही में गणना में ली गई आय/ प्राप्तियों की राशि (₹)	रोकड़ बही/ बैंक मे कम गणना/ जमा राशि (₹)
1	118	24 to 34 &36/340 2-6-2012	27028	26968	60
2	122	10 to 12/343 19-6-12	30	Nil	30
3	122	58 & 59/48 16-9-12	790	636	154
4	15	10 to 43/382 24-4-13	3826	3746	80
5	10	7 to 14/377 3-4-13	12206	12205	1
6	13	22 to 42/380 11-4-13	27938	27937	1
7	16	81 to 83/380 29-4-13	1132	1072	60
8	12	63 &64/355 10-4-13	20	Nil	20
9	12	15 to 20/50 8-4-13	1937	1936	1
10	13	30 to 32/50 11-4-13	1507	1503	4
11	14	39/50 22-4-13	942	Nil	942
12	14	288 to 291/5 21-4-13	40	Nil	40
				Total	**₹1393**

अतः उपरोक्त कुल राशि ₹1,617 की वसूली उचित माध्यम से करने के पश्चात् रोकड़ बही में दर्ज तथा बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19(3) के अनुसार अध्यक्ष, नगर परिषद द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही को हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 दुकानों के देय किराए की राशि ₹23.96, दिनांक 31.3.2014 तक वसूली हेतु शेष

परिशिष्ट संख्याः ''ड़'' द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दुकानों के देय किराये ₹23,95,695/– की राशि दिनांक 31.3.2014 तक वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 दिनांक 31.3.2014 तक प्लाटों के देय किराए की ₹2.11 लाख वसूली हेतु शेष

परिशिष्ट संख्याः ''च'' द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार प्लाटों के किराया ₹2,10,531/– की राशि दिनांक 31.3.2014 तक वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 अस्थाई अग्रिमों की ₹5.47 लाख दिनांक 31.3.14 तक समायोजन हेतु शेष

परिशिष्ट संख्याः ''छ'' द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹5,46,757/– दिनांक 31.3.2014 को समायोजन हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है इस राशि में ₹50,000/– की राशि तो सेवा निवृत हो चुके कर्मचारी से सम्बन्धित थी जिसका समायोजन उन्हें देय सेवा निवृति उपदान की राशि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा परिषद की लचर कार्य प्रणाली को परिलक्षित करती है। अतः इस राशि के साथ–साथ उक्त समस्त अस्थाई अग्रिम की राशि के समायोजन हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 बिजली उपकर की प्राप्ति न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG(B)(1)-9/94, दिनांक 8.11.1999 एवम हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर किसी भी उपभोगता द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार **परिशिष्ट ''ज''** द्वारा उपलबध करवाई गई सूचनानुसार परिषद को वित्त वर्ष 2013–14 के लिए बिजली बोर्ड से बिजली उपकर की देय राशि दिनांक 31.3.2014 तक प्राप्त नहीं हुई थी जिसकी प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 शराब उपकर की प्राप्ति न करना

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट ''ज''** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार परिषद को वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 का शराब उपकर हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग से दिनांक 31.3.2014 तक प्राप्त नहीं हुआ था जिसकी प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 गृहकर की वसूली न करने बारे

नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानानुसार व इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार नगर परिषदों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके दायरे में पड़ने वाले भवनों से गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी किन्तु अंकेक्षण को नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट ''ज''** द्वारा उपलब्ध करवाइ गई सूचनानुसार परिषद द्वारा पारित नवीनतम प्रस्ताव संख्याः 396, दिनांक 14.11.2014 के दृष्टिगत नियमित रूप से गृहकर वसूली करने की अपेक्षा अनापति प्रमाण पत्र जारी करते समय एक बार ही गृह कर वसूली किया जा रहा है परिणामतः नियमित गृह कर की वसूली हेतु देय राशि व उससे सम्बन्धित मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख–रखाव भी नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में दिनांक 31.3.2014 को वूसली हेतु देय राशि का अंकेक्षण नहीं किया जा सका। नियमों के अनुसार गृह कर की वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि यह परिषद की आय का एक मुख्य स्त्रोत है तथा इसकी वसूली न करने के कारण परिषद को लगातार हानि हो रही है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करना एक गम्भीर चिंता का विषय हे। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करने के अतिरिक्त

गृहकर की देय राशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मोबाइल टॉवर शुल्क की राशि ₹0.60 लाख की वसूली शेष

परिशिष्ट ''झ'' द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2014 को मोबाइल टॉवर शूल्क की राशि ₹60,000/– वसूली हेतु शेष थी जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय हैं इसके अतिरिक्त मोबाईल टॉवर शुल्क के मांग व संग्रहण रजिस्टर का उचित व स्वतंत्र रूप से रख–रखाव तथा अद्‌यतन नहीं किया गया था। अतः मांग व संरक्षण रजिस्टर का उचित व स्वतन्त्र रूप से रख–रखाव तथा उक्त वर्णित राशि की नियमानुसार देय Renewal fee देय कालिक बढ़ौतरी (Periodic Increase) सहित, वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 दुकानों/प्लाटों के किरायेदारों से ₹0.32 लाख के देय विलम्ब शुल्क की कम वसूली करना

अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत यदि किराएदार माह की दस तारीख तक उस माह का किराया जमा नहीं करता है तो ₹5/– व ₹1/–प्रतिदिन की दर से क्रमशः दुकानों व प्लाटों का विलम्ब शुल्क वसूला जायेगा किन्तु चयनित माह की आय का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में विलम्ब शुल्क या तो देय राशि से कम वसूली किया गया था या वसूल ही नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से विलम्ब शुल्क वसूली करने के अतिरिक्त अकेक्षण अवधि के दौरान समरूप चूककर्त्ता (defaulters) किरायेदारों के प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करने के साथ–साथ उनसे देय विलम्ब शुल्क की राशि की गणना करके वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

किराया रजिस्टर पृष्ठ संख्या	किरायेदार का नाम/दुकान व प्लाट संख्या (S-Shop & P-Plot)	रसीद संख्या व दिनांक	जिस माह की किराया प्राप्त किया गया	विलम्ब के दिन	विलम्ब शुल्क की देय राशि (₹)	विलम्ब शुल्क की प्राप्त राशि (₹)	विलम्ब शुल्क की कम प्राप्त राशि (₹)
27	Sh. Narala Ram /S-20	2/342 15-6-12	6/12	5	25	5	20
79	Sh. Naresh Kumar /P-49	3/342 15-6-12	5/12	36	36	26	10
			6/12	5	5	-	5
			Total	**41**	**41**		**15**

30	Sh. Gopal Singh-44	5/342	4/11	433	2165	2180	
		16-6-2	5/11	403	2015		
			6/11	372	1860		
			7/11	342	1710		
			8/11	311	1555		
			9/11	280	1400		
			10/11	250	1250		
			11/11	219	1095		
			12/11	189	945		
			1/12	158	790		
			2/12	127	635		
			3/12	98	490		
			4/12	67	335		
			5/12	37	185		
			6/12	06	30		
			Total	**3292**	**16460**		**14280**
42	Sh. Arjun Singh	6/342	2/12	129	645	600	
	/S-126	18-6-12	3/12	100	500		
			4/12	69	345		
			5/12	39	195		
			6/12	8	40		
			Total	**345**	**1725**		**1125**
43	Sh. Rajesh Kumar	7/342	2/12	129	645	600	
	/S-127	18-6-12	3/12	100	500		
			4/12	69	345		
			5/12	39	195		
			6/12	8	40		
			Total	**345**	**1725**		**1125**
48	Branch Manager,	68/342	6/12	26	130	Nil	
	Central Bank of	6-7-12	7/12	--	--		
	India		**Total**	**26**	**130**		**130**
54	Smt. Neelam Jain	34/340	1/12	144	720	555	
	/S-196	2-6-12	2/12	113	565		

			3/12	84	420			
			4/12	53	265			
			5/12	23	115			
			6/12	--	--			
			Total	**417**	**2085**		**1530**	
50	Sh. Rakesh Kumar /S-170	41/341 11-6-12	5/12	32	160	Nil	160	
36	Smt. Balbir Kaur /S-83	71/341 12-6-12	6/12	2	10	Nil	10	
47	Sh. Bal Raj /S-157	81/341 12-6-12	5/11	399	1995	1800		
			6/11	368	1840			
			7/11	338	1690			
			8/11	307	1535			
			9/11	276	1380			
			10/11	246	1230			
			11/11	215	1075			
			12/11	185	925			
			1/12	154	770			
			2/12	123	615			
			3/12	94	470			
			4/12	63	315			
			5/12	33	165			
			6/12	2	10			
			Total	**2803**	**14015**		**12215**	
47	Sh. Bal Ram /S-158	82/341 12-6-12	4/12	63	315	315		
			5/12	33	165			
			6/12	2	10			
			7/12	--	--			
			Total	**98**	**490**		**175**	
66	Sh. Mukesh Kumar /P-14	89/341 13-6-12	4/12	64	64	64		
			5/12	34	34			
			Total	**98**	**98**		**34**	

66	Smt. Rajinder Kaur /P-15	90/341 13-6-12	4/12	64	64	64	
			5/12	34	34		
			6/12	3	3		
			Total	**101**	**101**		**37**
73	Smt. Rajinder Kaur /P-73	91/341 13-6-12	4/12	64	64	64	
			5/12	34	34		
			6/12	3	3		
			Total	**101**	**101**		**37**
27	Sh. Dheeraj Kumar /S-98	39/377 3-4-13	2/13	52	260	54	
			3/13	24	120		
			Total	**76**	**380**		**326**
4	Sh. Mukesh Kumar /P-14	45/377 6-4-13	5/12	331	331	27	
			3/13	27	27		
			4/13	--	--		
			Total	**358**	**358**		**331**
48	Br. Manager Central Bank of India /S-161	69/380 18-4-13	4/13	8	40	Nil	40
8	Sh. Naresh Kumar /P-49	73/380 20-4-13	3/13	41	41	41	
			4/13	10	10		
			Total	**51**	**51**		**10**
	Shops	6/341 to 1 6/341 11-6-12 = 11no	6/12	1x11 no =11	55	Nil	55
	Shops	18/341 & 19/341 11-6-12 = 2 no.	6/12	1x 2 no.=2	10	Nil	10
	Shops	23/341 to 30/341 11-6-12 = 8 no.	6/12	1 x 8 no. = 8	40	Nil	40

Shops	23/341 to 40/341 11-6-12 =9no.	6/12	1x9no. = 9	45	Nil	45
Shops	42/341 to 48/341 11-6-12 =7 no.	6/12	1x7 no. =7	35	Nil	35
Shops	50/341 to 67/341 11-6-12 = 18 no.	6/12	1x18 no =18	90	Nil	90
			G.Total	**38270**	**6395**	**31875**

17 रसीद संख्या 5/382 of 4/13 का गायब (Missing) पाया जाना

आय/प्राप्तियों का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने के दौरान रसीद संख्याः 5/382 of 4/13 गायब (missing) पाई गई जोकि गमभीर अनियमितता है क्योंकि रसीद बुक के आरम्भ में प्रिंटिंग त्रुटि या रसीद के कम पन्ने होने का सक्षम अधिकारी का कोई प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था और वैसे भी रसीद संख्याः 4 व 6/382 के मध्य stappled भाग में दो पन्ने कटे प्रतीत हो रहे थे। ऐसे में आय के किसी प्रकार के Pilferage की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 दुकानों/प्लाटों के किरायेदारों से किराय की राशि ₹258 की कम वसूली करना

चयनित आधार पर दुकानों/प्लाटों से प्राप्त आय के प्रकरणों की उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में देय दर से कम दर पर किराया प्राप्त करने के कारण ₹258/– की राशि का किराया कम वसूल किया गया था जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

किराया रजिस्टर पृष्ठ संख्या	किरायेदार का नाम/ दुकानदार व प्लाट संख्या S-Shop & P-Plot	किराया प्राप्ति की अवधि माह	किराए की दर प्रतिमाह (₹)	देय राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	कम प्राप्त राशि (₹)
30	Sh. Jaspal /S-47	11& 12/11 & 4/12 =3M	420	1260	1080	180
39	Sh. Shyam Lal /S-104	1-4-12 to 31-5-13 = 14M (increased rate)	39 (827–788)	546	468 (RT. No. 77/355 dt. 7-6-13)	78
			कुल जोड	**1806**	**1548**	**258**

19 भवन निर्माण नक्शा पारित करने हेतु देय शुल्क राशि ₹9573 की कम वसूली करना

भवन निर्माण नक्शा पारित करने पर प्राप्त फीस के प्रकरणों की चयनित आधार पर उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ₹9573/– की राशि का शुल्क गणना में त्रुटी के कारण देय राशि से कम वसूल किया गया था जिसकी वसूली अब उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

भवन निर्माण नक्शा रजिस्टर पृष्ठ/प्रकरण संख्या व दिनांक	भवन मालिका का नाम/ रसीद संख्या व दिनांक	वसूल की गई फीस				देय फीस		कम वसूल की गई फीस (₹)
		विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	दर प्रति वर्ग मी0 (₹ में)	राशि (₹ में)	दर प्रति वर्ग मी0 (₹ में)	राशि (₹ में)	
44/12 of 27-2-13	Sh. Rameshwar Kumar s/o sh. Shadi Ram (92/381 of 16-5-13)	Dev. Of Land	151.74	5.25	797	5.25	797	nil
		Building Residential	231.00	6.30	1455	21.00	4851	3396
		Charge of Land use	151.74	15.75	2390	15.75	2390	Nil
		M.C.fees			2108		2108	Nil
				(क) योग	**6750**		**10146**	**3396**
52/42 of 23-8-13	Sh. Dindyal s/o Sh. Lacchman Dass (79/2	Dev. Of Land	176.80	5.25	928	5.25	928	Nil
		Building	132.33	21.00	2779	21.00	2779	Nil
		Residential	137.80	21.00	2894	63.00	8681	5787

	of 15-5-14)	Commercial Charge of Land Use	176.80	105	18564	105	18564	Ni
		M.C.fees			5050		5050	Nil
				(ख) योग	**30215**		**36002**	**5787**
568 of 5-3-14	Smt. Samina W/o Sh. Abdul Majid (92/2 of 19-5-14)	Dev. Of Land	82.93	5.25	435	5.25	435	Nil
		Building	61.97	6.30x10	3900	6.30x10	3900	Nil
		Residential	61.97	6.30	Nil	6.30	390	390
		Charge of Land use	82.93	10.50 x 10	8710	10.50 x 10	8710	Nil
		M.C.fees			3840		3840	Nil
				(ग) योग	**16885**		**17275**	**390**
					कुल जोड(क+ख+ग)			**9573**

20 पैंन्शन व ग्रेच्यूटी फण्ड

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित पैन्शन व ग्रेच्युटी फण्ड की वित्तीय स्थिति **(परिशिष्ट–''ञ'')** के अनुसार निम्न प्रकार से है :–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	अभिदान/अंशदान से प्राप्त राशि (₹ में)	ब्याज से प्राप्त राशि (₹ में)	कुल योग (₹ में)	व्यय (₹ में)	अन्तिम शेष (₹ में)
2012–13	1208318	2681231	89297	3978846	3019776	959070
2013–14	959070	5580291	69110	6608471	2468413	4140058

दिनांक 31.3.14 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = ₹4140058

दिनांक 31.3.14 को बैंक खाते के अनुसार शेष = ₹4140058

शेष में अन्तर = **शून्य**

21 भविष्य निधि

(1) अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–''ट'') के अनुसार निम्न प्रकार से है :–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	अभिदान से प्राप्त राशि (₹ में)	ब्याज से प्राप्त राशि (₹ में)	कुल योग (₹ में)	भुगतान (₹ में)	अन्तिम शेष (₹ में)
2012—13	4573432.80	1620723.00	463869.00	6658024.80	1513605.00	5144419.80
2013—14	5144419.80	1450467.00	241505.00	6836391.80	1644509.00	5191882.80

दिनांक 31.3.14 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = ₹5191882.80

दिनांक 31.3.14 को बैंक खाते के अनुसार शेष = ₹5191882.80

शेष में अन्तर = **शून्य**

(2) सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को नियमानुसार देय दर से अधिक दर पर ब्याज का जमा प्रदान करने के कारण ₹.12 लाख की राशि के ब्याज का निधि से अधिक भुगतान

(i) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2013—14 के लिए 9% की दर से सामान्य भविष्य निधि से ₹341704 की राशि के ब्याज का भुगतान किया गया था (**परिशिष्ट''ठ''**) जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित **Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000** के नियम 14 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (विनियम) विभाग के संकल्प संख्या फिन—सी—ए(3)—4/2001, दिनांक 9.5.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 के लिए 8.7% की दर तय की है। अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि से नियमानुसार देय दर से अधिक दर 9% पर ब्याज स्वीकृत करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में ₹11390/— की राशि का ब्याज अधिक जमा किया गया जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

9 प्रतिशत की दर से किया गया ब्याज का भुगतान (₹ में)	नियमानुसार 8.7 प्रतिशत की दर से देय ब्याज की राशि (₹ में)	अधिक जमा प्रदान ब्याज की राशि (₹ में)
341704	$\frac{34174 \times 8.7}{9} = 330314$	**11390**

इसके अतिरिक्त यदि उक्त अनियमितता के कारण पूर्व वर्षों में भी सामान्य भविष्य निधि खातों में ब्याज अधिक जमा किया गया हो तो उस राशि की गणना अपने स्तर पर करके

नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) सामान्य भविष्य निधि खातों में ब्याज प्रदान करने के प्रकरणों का चयनित आधार पर उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (विनियम) विभाग के संकल्प संख्या फिन–सी–ए(3)–4/2001, दिनांक 9.5.2013 द्वारा तय दर 8.8% की अपेक्षा अधिक दर से ब्याज प्रदान करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹783/– के ब्याज की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसमें भी नियमानुसार कार्यवाही करके सामान्य भविष्य निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

सामान्य भविष्य निधि रजिस्टर पृष्ठ संख्या	सामान्य भविष्य निधि अभिदाता का नाम	औसत मासिक शेष (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रदान किया गया ब्याज का जमा (₹ में)	नियमानुसार 8.8% की दर से देय ब्याज की राशि (₹ में)	अधिक प्रदान ब्याज की राशि (₹ में)
136	श्रीमती संतोष	2,56,461	23,039	22,569	470
153	श्री श्याम लाल	1,74,186	15,641	15,328	313
		कुल जोड	**38,680**	**37,897**	**783**

(3) सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹6,64,068 का अनियमित भुगतान

चयनित माह के व्यय एवं अदायगी के वाऊचरों तथा सेवा निवृत कर्मचारियों को किए गए अन्तिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियां प्रदान की गई जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "The advances, withdrawls and final payment from G.P.F Shall be sanctioned by Director" अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अन्तिम भुगतान/आहरण की राशियाँ उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित हैं। इस सम्बन्ध में अब निम्नलिखित प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्र0 सं0	वाऊचर संख्या व दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	अन्तिम भुगतान की राशि (₹ में)
1	35 of 5/2012	श्रीमती देवकी देवी, सफाई कर्मचारी	15,000
2	66 of 5/2012	श्री मोहिन्दर पाल, सफाई कर्मचारी	2,46,180
3	19 of 12/2013	श्रीमती देवकी देवी, सफाई कर्मचारी	1,58,373
4	19 of 12/2013	श्रीमती देवकी देवी, सफाई कर्मचारी	1,29,515
5	44 of 12/2013	श्री सतपाल, सफाई कर्मचारी	50,000
6	44 of 12/2013	श्री सोहन लाल, सफाई कर्मचारी	30,000
7	44 of 12/2013	श्री कृष्ण चन्द, बेलदार	35,000
		कुल जोड	**6,64,068**

22 सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा ग्रेच्यूटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-III, दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–साथ इसका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पैन्शन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन व ग्रेस्युटी निधि में जमा करवायेगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा ही किया जाएगा।

नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

(1) उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया गया था जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है;

(2) नियमानुसार पैन्शन, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी पैन्शन योजना का अलग–अलग बैंक बचत खातों/बही खातों का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित हैं किन्तु इसके प्रतिकूल परिषद द्वारा पैन्शन व सामान्य भविष्य निधि के दो ही बैंक बचत खाता का रख–रखाव किया गया था जिसमें क्रमशः ग्रेच्युटी तथा अंशदायी पैन्शन योजना का

नियोक्ता हिस्सा व अंशदायी पैन्शन योजना का कर्मचारी का अभिदान जमा किया जा रहा था जोकि अनियमित है।

अतः यह मामला सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

23 राशि 6.63 लाख को भविष्य निधि की अपेक्षा पैन्शन निधि में जमा करना तथा राशि ₹6.54 लाख को पैन्शन निधि की अपेक्षा भविष्य निधि में जमा करने सम्बन्धी अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अभिदान/अंशदान की ₹6,62,650 की राशि को भविष्य निधि की अपेक्षा पैन्शन निधि में तथा ₹6,53,836/– की राशि को पैन्शन निधि की अपेक्षा भविष्य निधि में जमा किया गया था जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब ₹8,814/– (₹6,62,650 – ₹6,53,836) की राशि को पैन्शन निधि से भविष्य निधि को हस्तांतरित करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रमांक	बैंक में जमा/निकासी की तिथि	राशि (₹ में) जमा	निकासी	वाऊचर संख्या व दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
(क) भविष्य निधि की राशि जो पैन्शन निधि में जमा की गई					
1	12.3.2013	99083		10 of 1-3-2013	197
2	6.4.2013	99083		10 of 1-4-2013	9
3	7.11.2013	120898		11 of 1-11-13	70
4	9.12.2013	120898		11 of 1-12-2013	79
5	9.1.2014	111294		11 of 1-1-2014	87
	5.2.2014	111294		12 of 1-2-2014	93
	कुल जोड़	**662650**	––	**Cr. 662650**	
(ख) पैन्शन निधि कीराशि जो भविष्य निधि में जमा/निकासी की गई					
1	15.5.2012	97790		10 of 1-5-2012	109
2	12.3.2013	137780		10 of 1-3-2013	197
3	7.11.2013	140025		11 of 1-11-2013	70
4	26.12.2013	135515		11 of 1-12-2013	79
5	9.1.2014	135515		11 of 1-1-2014	87
6	1.2.2014		128304	17 of 1-2-2014	93
7	7.2.2014	135515		12 of 1-2-2014	93
	कुल जोड	**782140**	**128304**	**Cr. 653836**	

24 भविष्य निधि राशि ₹2.73 लाख का नगर परिषद निधि से अनियमित भुगतान

अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार कर्मचारियों को भविष्य निधि से स्वीकृत आहरण की राशि ₹2,73,051/– का भविष्य निधि की अपेक्षा नगर परिषद निधि से भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। अतः अब इस अनियमितता का समाधान ₹2,73,051/– की राशि को भविष्य निधि से वापिस प्राप्त कर परिषद निधि में जमा करवाकर किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्र0 सं0	वाऊचर संख्या व दिनांक	कर्मचारी का नाम	भविष्य निधि से आहरण की राशि (₹ में)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या/बैंक से भुगतान की तिथि
1	33/18.7.2012	श्रीमती कमला, सफाई कर्मचारी	55,000	131/24.7.2012
2	34/18.7.2012	श्री आर0के0 शर्मा, कार्यकारी अधिकारी	1,73,051	131/7.8.2012
3	34/13.9.2013	श्रीमती कमला, सफाई कर्मचारी	45,000	55/15.9.2013
		कुल जोड़	**2,73,051**	

25 नगरपालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि में ₹39.15 लाख का अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान

H.P. Municipality Employees (Pension, Grautuity & GPF) Rules, 2000 में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर पर केवल 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान ही पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को उपलबध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि दिनांक 19.12.2013 को नगरपालिका निधि के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ADB) में बचत खाता संख्याः 65053606629 से पैन्शन एवं उपदान निधि के JCCB में बचत खाता संख्याः 101334001009914 को ₹39,14,522/– का अतिरिक्त हस्तांतरण/भुगतान किया गया जो कि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो अब इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए या फिर अनियमित रूप से हस्तांतरित उक्त वर्णित राशि को वापिस नगरपालिका निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाए।

26 नगर परिषद निधि से पैन्शन निधि को ₹10.48 लाख की राशि का अनियमित भुगतान (वाऊचर संख्याः 20, दिनांक 5.1.2013)

इलाहाबाद बैंक के चैक संख्याः 011749, दिनांक 5.1.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक के बजट अनुमानों की राशि का 1% नगर परिषद निधि से पैन्शन निधि को स्थापना प्रभार के रूप में दिनांक 11.1.2013 को भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Grauity & General provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) नियमानुसार पैन्शन निधि का रख–रखाव निदेशालय स्तर पर निदेशक द्वारा किया जाना प्रावधित है जिसकी एवज में बजट अनुमानों की राशि का 1% नगर परिषद निधि से स्थापना प्रभार के रूप में निदेशालय को भुगतान किया जाना अपेक्षित था न कि पैन्शन निधि को चूंकि वर्तमान में पैन्शन निधि का रख–रखाव निदेशालय स्तर की अपेक्षा नगर परिषद द्वारा स्वयं अपने स्तर पर किया जा रहा है तथा जब तक यह व्यवस्था जारी रहती है तब तक नगर परिषद को निदेशालय को वर्णित स्थापना प्रभार के भुगतान का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। अतः अब उक्त अनियमितता का समाधान ₹10,48,060/– की राशि को पैन्शन निधि से प्राप्त कर परिषद निधि में जमा करवाकर किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 नगर परिषद निधि से सामान्य भविष्य निधि को ₹141 की राशि का अधिक भुगतान (वाऊचर संख्याः 10, दिनांक 2.7.2015, ₹97,790)

परिषद कर्मचारियों के माह 6/2012 का वेतन जोकि माह 7/2012 में देय था, से ₹97,649/– सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पैन्शन योजना निधि के अभिदान के काटे गए थे जबकि इलाहाबाद बैंक के चैक संख्याः 059133, दिनांक 2.7.2012 द्वारा नगर परिषद निधि से सामान्य भविष्य निधि को ₹97,790/– का भुगतान किया गया जोकि ₹141/– अधिक है। अतः अब इस अनियमितता का समाधान ₹141/– की राशि को सामान्य भविष्य निधि से वापिस प्राप्त कर परिषद निधि में जमा करवाकर किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 नगर परिषद निधि से राशि ₹2.90 लाख की पैन्शन राशि का अनियमित भुगतान (वाऊचर संख्याः 15, दिनांक 1.5.2012 व 16, दिनांक 1.12.2013)

चयनित माह के व्यय वाऊचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री रामपाल चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (सेवा निवृत) को पैन्शन निधि की अपेक्षा नगर परिषद निधि से पैन्शन का भुगतान किया जा रहा था। विस्तृत अंकेक्षण पर विदित हुआ कि सम्पूर्ण अंकेक्षण अवधि के दौरान उन्हें निम्न विवरण अनुसार

₹2,90,373/– की पैन्शन की राशि का भुगतान नगर परिषद निधि से ही किया गया था जोकि अनियमित है। अतः अब इस अनियमितता का समाधान ₹2,90,373/– की राशि को पैन्शन निधि से वापिस प्राप्त कर परिषद निधि में जमा करवाकर किया जाए तथा भविष्य में पैन्शन का भुगतान पैन्शन निधि से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रमांक	**वाऊचर संख्या व दिनांक**	**पैन्शन भुगतान की राशि (₹ में)**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**
1	17/2.4.2012	10510	102
2	15/1.5.2012	10510	110
3	16/1.6.2012	10510	118
4	16/2.7.2012	10510	127
5	15/1.8.2012	10510	138
6	18/1.9.2012	10975	147
7	19/1.10.2012	10975	157
8	16/1.11.2012	11446	165
9	18/1.12.2012	11441	173
10	18/1.1.2013	11441	181
11	16/1.2.2013	11441	190
12	18/1.3.2013	11441	198
13	16/2.4.2013	11441	10
14	20/1.5.2013	11446	20
15	16/1.6.2013	11441	28
16	16/1.7.2013	11441	37
17	19/1.8.2013	11441	45
18	17/1.9.2013	11974	52
19	18/1.10.2013	11974	61
20	27/1.11.2013	28277	72
21	16/1.12.2013	12307	79
22	16/1.1.2014	12307	87
23	17/1.2.2014	12307	93
24	16/1.3.2014	12307	100
	कुल जोड	**₹2,90,373**	

29 वाऊचर संख्याः 10, दिनांक 1.5.2012, राशि ₹1,88,918 (91128+97790) व 11, दिनांक 1.12.2013 = ₹2,56,413 (120898+135515)

उपरोक्त व्यय वाऊचर पैन्शन, ग्रेच्युटी, अंशदायी पैन्शन योजना तथा सामान्य भविष्य निधि में अंशदान व अभिदान के भुगतान से सम्बन्धित थे अंकेक्षण के दौरान इन भुगतानों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(i) खाली पदों के विरूद्ध पैन्शन और ग्रेच्युटी अभिदान ₹72,893/– का परिषद निधि से पैन्शन निधि को अनियमित भुगतान

Himachal Pradesh Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम का 12% तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है किन्तु इन नियमों के प्रतिकूल परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार खाली पड़े पदों के विरूद्ध पैन्शन और ग्रेच्युटी अभिदान ₹72,893/– नगर पालिका निधि से पैन्शन एवं उपदान निधि को अनियमित भुगतान किया गया जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित निधि से वसूली करके नगरपालिका निधि की भरपाई की जाएः–

पदनाम व वेतनमान	खाली पदों की संख्या	भुगतान की गई अंशदान की राशि (₹ में)				अंशदान भुगतान की कुल राशि (₹ में)
		माह 5/2012		माह 12/2013		
		पैन्शन	ग्रेच्युटी	पैन्शन	ग्रेच्युटी	
Executive Officer 10300-34800	1/0	4176	1740			5916
Sr. Assistant 10300-34800	1	2203		4176	1740	8119
Statistical Assistant 10300-34800	1	1179		4176	1740	7095
Jr. Assistant 10300-34800	1	2203		4176	1740	8119
Sanitary Supervisor 5910-20200	1			4176	1740	7095
Community Organiser 5910-20200	1	1179		4176	1740	7095
Driver 5910-20200	1	1179		2424	1010	4613
Mason 5910-20200	1	1179		1701		2880

Sanitary Jamadar 5910-20200	1	1179		1282	534	2995
Adda Muharrar 4900-10680	2	936x2=1872		1282x2=2564	534x2=1068	5504
Peon 4900-10680	2	936x2=1872		1282x2=2564	534x2=1068	5504
Sweeper 4900-10680	2/3	1282x2=2564	534x2=1068	1282x3=3846	553x3=1659	9137
	Total	**20785**	**2808**	**35261**	**14039**	**72893**

(ii) निम्न विवरणानुसार नगरपालिका निधि से अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के भी पैन्शन/ग्रेच्युटी अभिदान की ₹8274 की राशि का पैन्शन निधि को भुगतान किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार अनुबन्ध पर नियुक्त कर्मचारियों को पैन्शन का लाभ देय नहीं है। अतः इस अनियमितता का समाधान राशि को वापिस पैन्शन निधि से नगरपालिका निधि को हस्तांतरित करके किया जाए :–

पदनाम व वेतनमान	भुगतान की गई अंशदान की राशि (₹ में)				अंशदान भुगतान की कुल राशि (₹ में)
	माह 5/2012		माह 12/2013		
	पैन्शन	ग्रेच्युटी	पैन्शन	ग्रेच्युटी	
Sh. Sanjay Awasthi, Junior Engineer 10300-34800			4176	1740	5916
Sh. Sanjeev Kumar, Clerk 5910-20200	1179				1179
Sh. Amit Lal, Rent Clerk 5910-20200	1179				1179
Total	**2358**		**4176**	**1740**	8274

(iii) माह 5/12 में अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत Covered श्री मदन लाल, चालक का भी ग्रेच्युटी अभियान ₹1404 का भुगतान नगरपालिका निधि से पैन्शन निधि को किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत Covered कर्मचारियों को पैन्शन का लाभ देय नहीं है जिसका समाधान अब इस राशि को वापिस पैन्शन निधि से नगरपालिका निधि को हस्तांतरित करके किया जाए।

(iv) अंशदायी पैन्शन योजना (कर्मचारी हिस्सा) ₹0.46 लाख सामान्य भविष्य निधि में जमा करना तथा अंशदायी पैन्शन योजना (₹0.50 लाख) पैन्शन निधि में जमा करना :–

निम्न विवरणानुसार अंशदायी पैन्शन योजना (कर्मचारी हिस्सा) ₹45,830/– सामान्य भविष्य निधि में जमा करना तथा अंशदायी पैन्शन योजना (नियोक्ता हिस्सा) ₹49,588/– पैन्शन निधि में जमा किया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशियों को स्वतन्त्र बैंक खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था जिस सम्बन्ध में अब नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए :–

Particulars	Credited to pension Fund (Rs)		Credited to General Provident Fund (Rs)		Total Amount (Rs)
	5/2012	12/2013	5/2012	12/2013	
अंशदायी पैन्शन योजना (CPS) (नियोक्ता हिस्सा)	23270	26318			**49588**
अंशदायी पैन्शन योजना (CPS) (कर्मचारी हिस्सा)			19508	26322	**45830**

(v) माह 5/2012 में योग में त्रुटि के कारण पैन्शन अंशदान की राशि ₹97,747/– की अपेक्षा ₹97,790/– का नगरपालिका निधि में पैन्शन निधि को भुगतान किया गया था जोकि ₹43/– अधिक है। अतः इस अनियमितता का समाधान अब अधिक भुगतान की राशि को भविष्य में देय राशि में से समायोजन करके किया जाए।

30 मकान किराया भत्ता गलत दर से आहरण करने के कारण ₹0.34 लाख की राशि का अधिक भुगतान

चयनित माह के वेतन एवं भत्तों के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को देय दर की अपेक्षा अधिक दर से मकान किराया भत्ते का भुगतान किया गया था। विस्तृत लेखा परीक्षण से यह भी विदित हुआ कि निम्न वर्णित अवधि के दौरान भी गलत दर से यह भुगतान किया गया था जिसके कारण निम्नानुसार ₹33,686/– की राशि का अधिक भुगतान हुआ :–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पद व कोड सं0	वेतन/ मूलवेतन +ग्रेड पे (₹ प्रति माह)	अदा किए गए मकान किराए भत्ते की दर (₹ प्रति माह)	मकान किराया भत्ता की देय दर (₹प्रतिमाह)	अन्तर (₹प्रति माह)	अवधि	अधिक भुगतान की कुल राशि (₹)
1	श्री दिनेश कुमार, लिपिक	12640+1950 12650+3200 12650+1900	500	400	100	4/12 से 3/13 तक =12 माह	1200
		13090+1950	500	450	50	4/13 से 3/14 तक =12 माह	600

						कुल योग	**1800**
2	श्री संजीव कुमार, लिपिक	5910/6150+ 1900	300	250	50	9/12 से 3/14 तक = 19 माह	950
3	श्री कुलदीप, चौकीदार	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
4	श्री अमृत लाल, लिपिक	5910+1900	300	250	50	11/13 से 3/14 तक = 5 माह	250
5	श्री हेम राज, सफाई पर्यवेक्षक	12580+1950	500	400	100	4/12 से 7/12 तक = 4 माह	400
		13020/13510 + 3200	500	450	50	8/12 से 1/13 तक =6 माह	300
						कुल योग	**700**
6	श्री मदन लाल, चालक	7300/7580/ 7870+2000	350	300	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
7	श्री सोहन लाल सफाई कर्मचारी	12220/12640 13070+1650	450	400	50	4/12 से 1/14 तक = 22 माह	1100
		11067	336	300	36	2/14 = 21 दिन	36
						कुल योग	**1136**
8	श्री मोहिन्द्र पाल सफाई कर्मचारी	12220+1650	450	400	50	4/12 से 6/13 तक = 3 माह	150
9	श्री फूल चन्द सफाई कर्मचारी	9080/9400 +1400	400	350	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
10	श्रीमती संतोष, सफाई कर्मचारी	10080+1400	400	350	50	4/12 से 10/12 तक = 7 माह	350
11	श्री राजेन्द्र कुमार–II, सफाई कर्मचारी	7710/7990/ 8280+1400	350	300	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
12	श्रीमती कमलेश कुमारी, सफाई कर्मचारी	7710/7990/ 8280+1400	350	300	50	4/12 सै 3/14 तक = 24 माह	1200
13	श्री हिन्द रवि, सफाई कर्मचारी	7710/7990/ 8280+1400	350	300	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
14	श्री बेली राम, सफाई कर्मचारी	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
15	श्री राजिन्द्र कुमार–III, सफाई कर्मचारी	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
16	श्री मोहनलाल–1, सफाई कर्मचारी	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
17	श्रीमती रेनूबाला,	5700+1300	300	250	50	4/12 से 2/13	550

	सफाई कर्मचारी					तक = 11 माह	
18	श्री अमरजीत, सफाई कर्मचारी	5700/5900/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
19	श्री सीता राम, सफाई कर्मचारी	5700/5900/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
20	श्री मोहन लाल–II, सफाई कर्मचारी	5700/5900/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
21	श्री राजिन्दर कुमार–iv, सफाई कर्मचारी	5490/5700 5910+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
22	श्री शरीफ मुहम्मद, कनिष्ठ अभियन्ता	11680+3800	500	400	100	4/12 से 6/12 तक = 3 माह	300
23	श्री बलजीत सिंह, निर्माण कार्य पर्यवेक्षक	9430/9780/ 10140	400	350	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
24	श्री सुरिन्दर बेलदार	8250/8550/ 8840+1400	350	300	50	4/12 से 1/13 तक = 10 माह	500
25	श्री श्याम लाल, बेलदार	8250/8550/ 8840+1400	350	300	50	4/12 से 1/13 तक = 10 माह	500
26	श्री क्रिशन, बेलदार	8260/8550 +1400	350	300	50	4/12 से 4/13 तक = 13 माह	650
27	श्री बलबीर, बेलदार	8260/8550 +1400	350	300	50	4/12 से 4/13 तक = 13 माह	650
28	श्री सालिग, बेलदार	7990/8280 +1400	350	300	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
29	श्री हुकम चन्द, बेलदार	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
30	श्री मुहम्मद सफ़ी, बेलदार	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
31	श्री राम लाल, बेलदार	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
32	श्री कर्मजीत, बेलदार	5700/5910/ 6130+1300	300	250	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
33	श्री कुलवंत राय, मैसन	7000/7210/ 7460	350	300	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
34	श्री पवन कुमार, माली	7990/8280 +1400	350	300	50	4/12 से 3/14 तक = 24 माह	1200
						कुल जोड	**33686**

अतः उक्त वर्णित अधिक भुगतान की राशि को अब सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल करके परिषद निधि की भरपाई करने के साथ–साथ भविष्य में सही दर से आवास भत्ते का आहरण एवं भुगतान करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 यात्रा भत्ता की ₹124 की राशि का अधिक भुगतान

(1) श्री अरूण कंमार, चौकीदार (ग्रेड पे ₹1300/3440, अपरिशोधित मूल वेतन तथा मुख्यालय नालागढ़) (वाऊचर संख्याः 17 of 5/12=₹780)

(i) दिनांक 19.3.2012 को सुबह 6 बजे से सायं 10 बजे तक मुख्यालय नालागढ़ से शिमला तथा वापिस मुख्यालय नालागढ़ को यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹130 की संशोधित दर, जोकि दिनांक 1.4.2012 से लागू थी, से दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें अपरिशोधित दर ₹48 से दैनिक भत्ता देय बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹82 का अधिक भुगतान हुआ है।

(ii) इसी प्रकार दिनांक 12.4.2012 को सुबह 5.30 बजे से 10.30 तक मुख्यालय नालागढ़ से शिमला तथा सांय 5.30 बजे से 9 बजे तक शिमला से मुख्यालय नालागढ़ को वापसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹130 की दर से ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70% ₹130 की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30% ₹60 की दर से यात्रा दैनिक भत्ता के हिसाब से कुल ₹109 देय बनते थे। इस प्रकार उन्हें ₹21 का अधिक भुगतान हुआ है।

(2) श्री हेम राज, सफाई निरीक्षक (ग्रेड पे ₹1950 तथा मुख्यालय नालागढ) (वाऊचर संख्याः 18 of 5/12=₹290)

दिनांक 3.4.2012 को सुबह 6.30 बजे से 10 बजे तक मुख्यालय नालागढ़ से शिमला तथा सायं 5 बजे से 9 बजे तक शिमला से मुख्यालय नालागढ़ को वापसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹130 की दर से ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70% ₹130 की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30% ₹60 की दर से यात्रा दैनिक भत्ते के हिसाब से कुल ₹109 देय बनते थे। इस प्रकार उन्हें ₹21 का अधिक भुगतान हुआ है।

32 पैन्शन राशि ₹1650 का अधिक भुगतान (वाऊचर संख्याः 16 of 12/13=140611)

चयनित माह के व्यय वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री मोहिन्दर पाल, सफाई कर्मचारी (सेवा निवृत) को प्रतिमाह देय पैन्शन की राशि

में से परिणत पैन्शन की ₹2724 की राशि ही कम की गई थी जबकि पी0पी0ओ0 संख्याः 1231/12 के अनुसार परिणत पैन्शन की राशि ₹2774 है जिसे प्रतिमाह देय पैन्शन की राशि में से कम करके पैन्शन का भुगतान किया जाना चाहिए था। अतः इस अनियमितता के कारण उन्हें प्रतिमाह ₹50 पैन्शन का अधिक भुगतान किया जा रहा था तथा विस्तृत अंकेक्षण पर पाया गया कि अवधि 1.6.2012 से 28.2.2015 =33 माह तक ₹50 की दर से = ₹1650 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित पैन्शनर से करके अनुपालना से अंकेंक्षण को अवगत करवाया जाए और भविष्य में सही दर से परिणत पैन्शन की राशि घटाकर पैन्शन का प्रतिमाह भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

33 लावारिस शव के दाह संस्कार पर ₹2200 की राशि की संशयपूर्ण प्रतिपूर्ति/भुगतान (वाऊचर संख्याः 27 of 12/13 = ₹6900)

चयनित माह के व्यय वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री राकेश गोयल सुपुत्र श्री मुंशी राम के शव के दाह संस्कार हेतु नालागढ़ सुधार सभा नालागढ़ से ₹2200 की लकड़ी क्रय की गई जिसका भुगतान परिषद द्वारा उन्हें उनकी रसीद संख्याः 118, दिनांक 20.8.2013 की फोटो कॉपी के विरूद्ध किया गया था। मृतक M/s Roop Luxmi Steels(P) Ltd. Vill. Jhiriwala, Teh Nalagarh में कार्यरत था तथा फर्म के निदेशक श्री ओंकार सिह रावत ने उप मण्डलाधिकारी नालागढ़ से पत्र संख्याः शून्य दिनांक 20.8.2013 **(परिशिष्ट "ड")** द्वारा प्रार्थना की थी कि "Permission to cremate the dead body may be accorded through Nagar Parishad Nalagarh and the applicant shall bear the expenses of the dead body". इस प्रकरण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(i) ₹2200 की लकड़ी क्रय का भुगतान मूल रसीद संख्याः 118, दिनांक 20.8.2013 की अपेक्षा इसकी फोटो कॉपी के विरूद्ध किया गया जोकि अनियमित एवं संशयपूर्ण प्रतीत होता है। अतः इस अनियमितता का समाधान भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत करके या नियमानुसार duplicate रसीद पर भुगतान करने सम्बन्धी विहित प्रक्रिया पूर्ण करके इसकी सक्षम प्राधिकारी से सत्यापना करवाई जाए।

(ii) फर्म के निदेशक श्री ओंकार सिंह रावत द्वारा की गई Commitment के अनुसार मृतक के दाह संस्कार पर हुए कुल व्यय ₹2300 (₹2200 लकडी का मुल्य + ₹100 मजदूरी) की राशि की प्रतिपूर्ति तुरन्त प्राप्त करके परिषद निधि की भरपाई की जाए।

34 वाऊचर संख्याः 28 of 12/13 =₹262/-

गुरू शांति हार्डवेयर व सेनेटरी स्टोर नालागढ़ से 26 कि0ग्रा0 चुने की खरीद ₹262 में बिल संख्याः 47, दिनांक 22.9.2013 की मूल प्रति की अपेक्षा फोटो कॉपी के विरूद्ध की गई तथा इस राशि का भुगतान चैक संख्याः 002792, दिनांक 7.12.2013 द्वारा किया गया था जोकि अनियमित एवं संशयपूर्ण प्रतीत होता हैं अतः इस अनियमितता का समाधान अब मूल बिल प्रस्तुत करके या नियमानुसार duplicate बिल पर भुगतान करने सम्बन्धी विहित प्रक्रिया पूर्ण करके इसकी सक्षम प्राधिकारी से सत्यापना करवाई जाए अन्यथा राशि की वसूली चूककर्त्ता कर्मचारी से की जाए।

35 वेतन एवं भत्तों की राशि ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान

चयनित माह के वेतन बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया कि गणना में त्रुटि व गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹8356 के वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित स्त्रौत से वसूली करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(क) योग में त्रुटि के कारण माह 5/2012 में वेतन का अधिक भुगतान

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	देय वेतन का योग (₹में)		वेतन भुगतान की राशि (₹में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
1	Sh. Shyam Lal, Beldar	B Pay	8250		
		GP	1400		
		DA	5597(58%)		
		CA	200		
		HRA	350		
		UA	140		
		Total	**15937**	15967	
		Ded.	2565	2565	
		Net Pay	**13372**	13402	30
2	Sh. Balbir, Beldar	B Pay	8250		
		GP	1400		
		DA	5603(58%)		
		CA	200		
		HRA	350		
		UA	140		
		Total	**15953**	16053	
		Ded.	3066	3066	
		Net Pay	**12887**	12987	100
				Total	**130**

(ख) **गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण अधिक भुगतान**

(1) Sh. Kulwant Rai, Masson (ECR page-16 & 30)

(वाऊचर संख्याः 6, दिनांक 1.5.2012=₹1,45,447)

सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री कुलवंत राय, मैसन को दिनांक 1.9.2011 को 6910+1900GP=₹8810 तथा दिनांक 1.9.2012 को 7180+1900GP=₹9080 की दर से वेतन देय था किन्तु गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण निम्न विवरण अनुसार उन्हें ₹3706 की राशि के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया :—

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹में)	अन्तर (₹में)	मंहगाई भत्ता (₹में)/दर (% में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
1-9-11to31-12-11=4M	7000+1900=8900	6910+1900=8810	90	52(58%)	142x4M=568
1-1-12to30-6-12=6M	7000+1900=8900	6910+1900=8810	90	59(65%)	149x6M=894
1-7-12to30-8-12=2M	7000+1900=8900	6910+1900=8810	90	65(72%)	155x2M=310
1-9-12to31-12-12=4M	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	65(72%)	155x4M=620
1-1-13to30-6-13=6M	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	72(80%)	162x6M=972
1-7-13to31-8-13=2M	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	81(90%)	171x2M=342
				Total	**3706**

(2) Sh. Purshotam Chaudhary, Executive Officer (ECR Page-30&31)

(वाऊचर संख्याः 1, दिनांक 1.12.2013=₹36,072)

(i) सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री पुरषोतम चौधरी, कार्यकारी अधिकारी को दिनांक 1.1.2013 को 20030+5400GP=₹25,430 तथा दिनांक 1.1.2014 को 20800+5400GP=₹26,200 की दर से वेतन देय था किन्तु गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण निम्न विवरण अनुसार उन्हें ₹4,662 की राशि के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया :—

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹में)	अन्तर (₹में)	मंहगाई भत्ता (₹में)/दर (% में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
1-7-13to31-12-13=6M	20418+5400GP=25818	20030+5400GP=25430	388	349(90%)	737x6M=4422
1-1-14to31-12-14=12M	20810+5400GP=26210	20800+5400GP=26200	10	10(100%)	20x12M=240
				Total	**4662**

(ii) इसके अतिरिक्त उन्हें दिनांक 1.10.2012 से ₹5400 की संशोधित ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्याः UD-B(7)-2/2009, दिनांक 19.12.2014 के अनुसार उन्हें दिनांक 1.12.2014 से ₹4800 की संशोधित ग्रेड पे का ही लाभ देय था। इस प्रकार उन्हें अवधि 1.10.2012 से 28.2.2015 तक संशोधित ग्रेड पे का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसकी महंगाई भत्ते सहित अपने स्तर पर गणना करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

36 अध्यक्ष नगर परिषद को रिहायशी दूरभाष की सुविधा की एवज़ में ₹11,476 की राशि की अनियमित प्रतिपूर्ति (वाऊचर संख्याः 45 व 42 माह 5/2012 व 12/2013=₹2348 व ₹2048)

चयनित माह के व्यय वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अध्यक्ष, नगर परिषद नालागढ़ को रिहायशी दूरभाष की सुविधा की एवज़ में वास्तविक आधार पर दूरभाष नम्बर 01795—223015 के बिल की प्रतिपूर्ति की जा रही थी तथा अंकेक्षण को (**परिशिष्ट "ढ"**) द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 के दौरान अध्यक्ष को ₹11,476 की राशि की प्रतिपूर्ति रिहायशी दूरभाष की सुविधा की एवज में की गयी है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 26/2015 दिनांक 28.2.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से उन अनुदेशों/नियमों, जिसके अन्तर्गत वास्तविक आधार पर अध्यक्ष, नगर परिषद को रिहायशी दूरभाष की सुविधा की एवज़ में टेलिफोन के बिलों की प्रतिपूर्ति की जा रही थी, की प्रति उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था किन्तु अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में किए गए व्यय की सत्यापना नही की जा सकी। निदेशक, शहरी विकास के ज्ञापन संख्याः UD-H(c)(7)-19/97-II, 10199-10246 and ULB-H(A)(7)-1/87,9237 to 9284, dated 15-9-2007 व 20-6-2001 द्वारा जारी अनुदेशानुसार केवल कार्यकारी अधिकारी और सचिवों को ही रिहायशी दूरभाष की सुविधा की एवज़ में निश्चित राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है तथा इन अनुदेशों में अध्यक्ष नगर परिषद को रिहायशी दूरभाष की सुविधा की एवज़ में किसी भी प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं है जिससे उन्हें उक्त किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। अतः या तो किए गए भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करते हुए परिषद निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 बिजली के बिलों में ₹4674 की राशि का अधिक भुगतान (वाऊचर संख्याः 55, दिनांक 24.5.2012 = ₹75,008)

चयनित माह के व्यय वाऊचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को बिजली बिलों की एवज में देय राशि से ₹4674 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली/समायोजन अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

बिजली बिल रजिस्टर पृष्ठ सं0	खाता/बिल सं0	पुरानी मीटर रीडिंग	नई मीटर रीडिंग	गणना मे ली गई खपत	वास्तविक खपत जो गणना में ली जानी चाहिए थी	भुगतान की राशि (₹ में)	भुगतान हेतु देय राशि (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
54	SL-2 1432087/ 25-5-2012	9892	13068	3716	3176	17758	17758x3176 3716=15177	2581
62	SL-2 1432090/ 25-5-2012	3607 310 12145 **16062**	3998 1119 12452 **17569**	1927	1507	9603	9603x1507 1927=7510	2093
					Total	**27361**	**22687**	**4674**

38 फोटोस्टेट/लेखन सामग्री के बिलों में ₹882 की राशि का अधिक भुगतान (वाऊचर संख्याः 58, दिनांक 25.5.2012=₹5400)

चयनित मास के व्यय वाऊचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार फोटोस्टेट/लेखन सामग्री की खरीद के एवज में ₹882 की राशि का योग में त्रुटि के कारण देय राशि से अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	भुगतान की राशि (₹ में)	भुगतान हेतु देय राशि (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
267/2.4.2012	M/S Diwedi Book Depot. Nalagarh	3320	2438	882

39 कार्य का नाम — C/o retaining wall in ward no. 9 along Surendra Marg near Hanuman Mandir Nalagrah

ठेकेदार का नाम — Shri Chunni Lal

अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/688, Dated 10-7-2013 for Rs. ₹324718 i.e. 4.08% above HPSR2009/estimated cost ₹311972
चलत बिल संख्या	1st & Final
वाऊचर संख्याः	34, दिनांक 10.12.2013 राशि ₹2,07,490/-
माप पुस्तिका संख्याः	68, पृष्ठ-49 से 50 तक (Record entry) पृष्ठ-50 से 51 तक (Abstract of Cost)

(1) RCC Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹589 की राशि का अधिक भुगतान

ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 4 P/LCC 1:3:6 in आर0वाल/Breast wall की निष्पादित कुल मात्रा 71.076 घन मीटर हेतु ₹3100 प्रति घन मीटर की दर से ₹2,20,336 की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 68 के पृष्ठ-51) इस मद की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना माप पुस्तिका संख्याः 68 मे पृष्ठ-50 पर दर्ज की गयी। विस्तृत माप प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्मित की गई दीवार में 4 ईंच dia अर्थात 100mm PVC Pipe weephole हेतु लगाई गई थी जिसके लिए अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 6 के अन्तर्गत 23.40 मीटर पाईप का ₹150 की दर से ₹3510 की राशि का अलग से ठेकेदार को भुगतान किया गया था परन्तु Wheepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा, जोकि22/7x.05x0.05x23.40=0.19 घन मीटर बनती थी को उक्त मद की कार्य प्रमात्रा से घटाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार निर्मित की गई दीवार की कार्य प्रमात्रा से Wheepholes के क्षेत्रफल के बराबर कार्य प्रमात्रा घटाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था किन्तु ऐसा न करके ठेकेदार को वर्णित कार्य मद के अन्तर्गत 0.19 घन मीटर कार्य प्रमात्रा हेतु ₹3100 की दर से ₹589 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को पूर्ण छानबीन उपरान्त उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40	कार्य का नाम	C/o retaining wall to solid waste treatment plant at Village Manjholi for Nalagarh town RD 0/0 to 50 mtr.
	ठेकेदार का नाम	Shri. B.S. Bedi

अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/2012,531-33, Dated 28-4-2012 for ₹727894 i.e. 17.72% above HPSR2009/ estimated cost ₹618306
चलत बिल संख्या	Ist & Final
वाऊचर संख्या	33, दिनांक 5/2012, राशि ₹6,14,494
माप पुस्तिका संख्या	65, पृष्ठ–7 से 9 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹0.14 लाख की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्या 5 (माप पुस्तिका संख्या 65, पृष्ठ–9 Abstract of Cost) "Boulder filling behind R/wall" की कुल कार्य प्रमात्रा 60.07 घन मीटर का ₹650 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹39,045 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि नियमानुसार ₹412 प्रति घन मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹14,297 {60.70 cum x ₹238(₹650-₹412)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate of ordinary querry stone as per HPSR 2009 = ₹350 per cum

Add Contracter Overall Premium 17.72% = ₹62/-

Rate to be paid to Contracter ₹412 per cum

41	कार्य का नाम	C/o retaining wall near H/o Shri Kuldeep in ward No. 9 M.C. Nalagarh.
	ठेकेदार का नाम	Shri. Vijay Kumar
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/2011-1021 Dated 11-8-2011 for Rs. 139681 i.e. 21.25% above HPSR2009/ estimated cost ₹177387
	चलत बिल संख्या	Ist & Final
	वाऊचर संख्या	50, दिनांक 15.5.2012 ₹62,581

माप पुस्तिका संख्या	64 पृष्ठ–8 से 9 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹785 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य मद संख्याः 5 (माप पुस्तिका संख्या 64, पृष्ठ–9 Abstract of Cost) "P/L CC in 1:5:10 in R/wall etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 76 घन मीटर का ₹1785 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹1,35,660 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 64, पृष्ठ–8 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 0.44 घन मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹785 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मीटर (₹में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
$1 \times 10 \times \frac{1.15+0.60}{2} \times 1.75$ = 15.75 Cum	$1 \times 10 \times \frac{1.15+0.60}{2} \times 1.75$ = 15.31 Cum	0.44 Cum	1785	785

(2) प्रतिस्थापित कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹1893 की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 3 "P/L CC in 1:4:8 in Foundation/Plinth, R/wall etc." के स्थान पर "P/L CC in 1:6:12 (40mm nominal size) in foundation /Plinth, R/wall etc." के निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया था जिसकी कुल कार्य प्रमात्रा 6.187 घन मीटर का नियमानुसार दर विश्लेषण किए बगैर ही मूल कार्य मद हैतु ठेकेदार से अनुबंधित दर ₹2000 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹12,374 की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 64, पृष्ठ 9 Abstract of cost) जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹1694 प्रति घन मीटर बनता है तथा इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹1893 {6.187 cum x ₹306 (₹2000 - ₹1694)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य

स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(A) अनुबन्ध की मूल कार्य मद संख्या 3 "P/L CC in 1:4:8 in Foundation/Plinth/ wall etc." का HPSR 2009 के अनुसार Rate = ₹2293.10 cum

इस कार्य मद की ठेकेदार से अनुबन्धित दर = ₹2000 प्रति घन मीटर

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

$$= \frac{293.10(2293.10 - 2000}{2293.10} \times 100 = 12.78\% \text{ below}$$

(B) निष्पादित कार्य मद "P/L CC in 1:6:12 (40mm nominal size) in Foundation/Plinth/ wall etc." का HPSR 2009 के अनुसार Rate (Code 09160100) = ₹1942.50 per cum

ADD Similar item Premium 12.78% below as per (A) above = (-) ₹248.25 अतः Rate to be paid to Contractor =₹1694.25 say ₹1694 per cum

42	कार्य का नाम	C/o boundary wall to Ahata Complex in ward no.1 M.C. nalagarh
	ठेकेदार का नाम	Shri Dharam Pal
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/2010,1077-79, dated 15-10-2010 for ₹2,82,324 i.e. 53.13% above HPSR1999/estimated cost ₹1,84,363/-
	चलत बिल संख्या	2nd & Final
	वाऊचर संख्या	51, दिनांक 7.5.2012 ₹68,839/–
	माप पुस्तिका संख्या	63, पृष्ठ–97 से 100 तक एवं 64, पृष्ठ–7 से 8 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹0.05 लाख की राशि का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 6 "Brick work using common brunt clay building bricks in CM 1:6" की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 36.146 घन मीटर का ₹2200 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹79521 का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 63, पृष्ठ–99 Abstract of Cost) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार से ₹2050 प्रति

घन मीटर की दर अनुबंधित थी। अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹5422 की राशि {36.146 cum x ₹150 (₹2200 - ₹2050)} का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43	कार्य का नाम	C/o Platform near Sheetla Mata Mandir in ward no.1 M.C. Nalagarh
	ठेकेदार का नाम	Shri Dharam Pal
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/2008-18, Dated 6-1-2010 for ₹1,18,394 i.e. 69.64% above HPSR 1999/estimated cost ₹69,792/-
	चलत बिल संख्या	I^{st} & Final
	वाऊचर संख्या	52, दिनांक 7.5.2012 राशि ₹1,02,072/–
	माप पुस्तिका संख्या	59, पृष्ठ–80 से 80 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) निष्पादित कार्य प्रमात्रा के योग मे त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹2,268 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य मद संख्याः 5 (माप पुस्तिका संख्याः 59, पृष्ठ–82 Abstract of Cost) "15mm thick cement plaster in single cost in CM 1:6" की कुल कार्य प्रमात्रा 55.05 वर्ग मीटर का ₹80 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹4,404 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 59, पृष्ठ–81 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा के योग में त्रुटि के कारण कुल कार्य प्रमात्रा 55.05 वर्ग मीटर गणना में ली गयी थी जबकि वास्तविकता में यह केवल 26.70 वर्ग मीटर ही बनती थी अतः इस प्रकार 28.35 वर्ग मीटर (55.05 – 26.70 वर्ग मीटर) कार्य प्रमात्रा का ₹80 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹2,268 की राशि का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब संबन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाय जाए।

44	कार्य का नाम	C/o Batteries of Six cells each inSolid waste Treatment for Nalagarh Town
	ठेकेदार का नाम	Shri B.S. Bedi
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/2011-848, Dated 21-6-2011 for ₹2,99,193 i.e. 79.40% above HPSR 1999/estimated cost ₹16,70,868
	चलत बिल संख्या	I^{st} , 2^{nd} & Final

वाऊचर संख्या	64, दिनांक 24.5.2012, राशि ₹10,38,622 एवं 18, दिनांक 4.7.2012 राशि ₹6,14,913
माप पुस्तिका संख्या	65, पृष्ठ–1 से 24 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा quoted and negotiated दरों में संशयपूर्ण बदलाव करने के कारण ₹0.49 लाख की राशि का अधिक भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 7" 50MM thick cc Flooring in 1:2:4 with a floating coat of neat cement" की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 485.85 वर्ग मीटर का ₹270 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹1,31,179 की राशि का ठेकेदार को भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–18 Abstact of Cost) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा ₹177 व ₹170 प्रति वर्ग मीटर की दर क्रमशः quoted व भुगतान किया गया जोकि अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस अनियमितता के कारण ठेकेदार को ₹48,585 की राशि {485.85sqm x ₹100 (₹2700 - ₹170)} का अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध मे कार्यकारी अधिकारी से अकेक्षण अधियाचना संख्याः 18/2015, दिनांक 6.2.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिस सम्बन्ध में मौखिक तौर पर सूचित किया गया कि ₹48,585 की अधिक भुगतान की राशि की वसूली ठेकेदार से रसीद संख्याः 16/37, दिनांक 11.3.2015 द्वारा कर दी गई है तथा यथानुसार कृत कार्यवाही की सत्यापना भी अंकेक्षण मे कर ली गई है।

(2) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना Extra Item का कार्यान्वयन करने पर ठेकेदार को ₹0.15 लाख का अनियमित भुगतान

कार्य मद संख्याः 11/Extra item "P/L RCC pipe 300mm Dia in treaches I/c jointing in cement mortar 1:2 and complete in all respect." की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 22.50 मीटर हेतु ₹650 प्रति मीटर की दर से कुल ₹14,625 की राशि का ठेकेदार को भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–19 Abstract of cost of 2nd R/bill) किन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की सवेकृति तथा कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गयी दर बारे कोई भी अभिलेख बार–बार मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ही Extra item का कार्यान्वयन करवाकर ठेकेदार को ₹14,625 का अनाधिकृत रूप से अनियमित भुगतान किया गया है जिसे या तो पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते

हुंए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

45	कार्य का नाम	C/o retaining wall to solid waste treatment plant at Village-Manjholi for Nalagarh Town RD 50 to 100 mtr.
	ठेकेदार का नाम	Shri B.S. Bedi
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/2012-534-36, Dated 28-4-2012 for ₹7,27,894 i.e. 17.72% above HPSR2009/estimated cost ₹6,18,306
	चलत बिल संख्या	Ist & Final
	वाऊचर संख्या	34, दिनांक 7.5.2012, राशि ₹6,55,877
	माप पुस्तिका संख्या	65, पृष्ठ–10 से 12 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹15,101 की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 5 (माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–12 Abstract of Cost) "Boulder filling behind R/wall" की कुल कार्य प्रमात्रा 63.45 घन मीटर का ₹650 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹41,242 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियंता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹412 प्रति घन मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹15,101 {63.45 cum x ₹238 (₹650 7 ₹412)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate of ordinary quarry stone as per HPSR 2009 = ₹350 per cum

Add Contractor overall premium 17.72 % = ₹62

Rate to be paid to contractor = ₹412 per cum

(2) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹0.30 लाख की राशि का अधिक भुगतान

कार्य मद संख्याः 4(माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–12 Abstract of cost) "P/L CC in 1:5:10 in R/wall or B/wall etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 217.43 घन मीटर का ₹2500 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹5,73,575 की राशि का भुगतान किया गया था जबकि वास्तविकता में यह राशि ₹5,43,575 बनती थी। अतः गणना में त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹30,000 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली अब संम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

46	कार्य का नाम	C/o Platform far garbage Container Near Shiv Mandir in ward No. 3 Nalagarh
	ठेकेदार का नाम	Shri Ajay Kumar
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/1495, Dated 16-12-2013 for ₹1,05,088 i.e. 30.15% above HPSR2009/estimated cost ₹80,745
	चलत बिल संख्या	I[st] & Final
	वाऊचर संख्या	67, दिनांक 24.12.2013, राशि ₹98,827
	माप पुस्तिका संख्या	69, पृष्ठ–54 से 57 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹184 की राशि का अधिक भुगतान

उक्त निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 3"P/L CC in 1:4:8 in foundation & plinth etc." की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 9.234 घन मीटर का ₹3750 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹34,627 की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–46 Abstract of cost) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार को quoted rate ₹3800 के बदले negotiated rate ₹3730 प्रति घन मीटर की दर से अनुबन्धित थी। अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹184 की राशि {9.234 cum x ₹20 (₹3750 - ₹3730)} का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

47	कार्य का नाम	C/o P/L Hume Pipe Ling in Ward No. 8 from H/o Smt. Kamlesh to H/o Sh. Dinesh Kumar Nalagarh.
	ठेकेदार का नाम	Shri Sajjan Singh
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/994-96, Dated 24-8-2013 for ₹1,30,786 i.e. 49.19% above HPSR2009/estimated cost ₹87,661
	चलत बिल संख्या	I[st] & Final
	वाऊचर संख्या	68, दिनांक 24.12.2013, राशि ₹1,85,006
	माप पुस्तिका संख्या	69, पृष्ठ–57 से 61 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹6163 की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

(i) प्रतिस्थापित कार्य मद संख्याः 4 (माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–60 Abstract of cost) "P/L PCC 1:4:8 using graded stone Aggr.20mm nominal size & curing complete infoundation & plinth" की कुल कार्य कार्य प्रमात्रा 5.92 घन मीटर का ₹3850 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹22,792 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि ठेकेदार को इस कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अनतर्गत भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹2809 प्रति घन मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹6163 (5.92 cum x ₹1041(₹3850 - ₹2809) की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(A) अनुबन्ध की मूल कार्य मद संख्या 2 "P/L CC in 1:4:8 with 40mm Aggr. in Foundation/Plinth etc." का HPSR 2009 के अनुसार Rate = ₹2293.10 percum

इस कार्य मद की ठेकेदार से अनुबन्धित दर = ₹2800 प्रति घन मीटर

अतः इस कार्य मद हेतु Contractor Premium:

$$= \frac{506.90(2800 - 2293.10}{2293.10} \times 100 = 22.11\% \text{ Above}$$

(B) निष्पादित कार्य मद "P/L PCC 1:4:8 using graded stone Aggr. 20mm nominal size & curing complete in Foundation & plinth." का HPSR 2009 के अनुसार Rate = ₹2300 per cum

ADD Similar item Premium 22.11% Above as per (A) above = ₹508.53 अतः Rate to be paid to Contractor =₹2808.53 say ₹2809 per cum

(ii) अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 9 (माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–61 Abstract of Cost) "P/L Chequers of approved pattern in CC flooring" की कुल कार्य प्रमात्रा 72.10 वर्ग मीटर का ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹1802 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जो नियमानुसार ₹19 प्रति वर्ग मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹433 {72.10 sqm x ₹6(₹25 - ₹19)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate as per HPSR 2009 = ₹12.75 per sqm
Add Contractor overall Premium 49-19% = ₹6.27
Rate to be paid to Contractor = 19.02 say ₹19 per sqm

(iii) अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 10 (माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–61 Abstract of Cost) "Disposal of excavated earth by mechanical transport I/cloading & unloading uptolead of 5km" की कुल कार्य प्रमात्रा 64.46 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹18,049 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था और ही lead chart सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण तथा lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जो नियमानुसार ₹270 प्रति घन मीटर बनता है

तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹645 {64.46 cum x ₹10(₹280 - ₹270)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate as per HPSR 2009 = ₹181.05 per cum
Add Contractor overall Premium 49.19% = ₹89.06
Rate to be paid to Contractor = ₹270.11 say ₹270 per cum

(2) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹0.52 लाख की राशि का अनाधिकृत भुगतान

उक्त निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त कार्य मदों (Extra items) का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना करवाकर ठेकेदार को ₹52,170 की राशि का अनाधिकृत भुगतान किया गया जोकि अनियमित है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जााए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रमांक	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	अतिरिक्त कार्य मद का विवरण	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹में)	भुगतान की राशि (₹में)
1	69, P-60	Demolition below G.L. upto 1.5ml/c disposal of excavated earth within 3mtr.	20.27 cum	470 per cum	9527
2	69, P-60	P/L PCC 1:4:8 using graded stone Agr. 20 mm nominal size & curing Complete in foundation & Plinth	5.92 cum	3850 per cum	22792
3	69, P-61	P/L Chequers of approved pattern in CC Flooring	72.10 sqm	25 per Sqm	1802
4	69, P-61	Disposal of excavated	64.46 cum	280per cum	18049

earth by mechanical transport I/cloading & unloading uptolead of 5km

Total 52170

48	कार्य का नाम	C/o Street in Ward No.2 near M.C. Office (Old) building in front of meat market (Old) at Nalagarh
	ठेकेदार का नाम	shri Gurjinder Singh
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/773, Dated 25-7-2013 for ₹3,70,818 i.e. 21.13% above HPSR2009/estimated cost ₹3,06,127
	चलत बिल संख्या	3rd & Final
	वाऊचर संख्या	54(ii), दिनांक 18.12.2013, राशि ₹16,735
	माप पुस्तिका संख्या	68, पृष्ठ–66 से 68 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹4304 की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 5 (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–67 Abstract of cost) “Disposal of excavated earth by mechanical transport I/c loading & unloading uptolead of 5km” की कुल कार्य प्रमात्रा 70.56 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹19,757 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था ओर न ही lead chart सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण और lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹219 प्रति घन मीटर बनता है। ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹4304 (70.56 cum x ₹61(₹280 - ₹219) की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate as per HPSR 2009 = ₹181.05 per Cum

ADD Contractor Overall Premium 21.13% = ₹38.26

Rate to be paid to Contractor = ₹219.31 say ₹219 per cum

49		
	कार्य का नाम	Re-C/o Street in Ward No.7 near Park from Plot of Sh. Sanjeev Verma to park Chowk.
	ठेकेदार का नाम	Shri Sajjan Singh
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/695, Dated 11-7-2013 for ₹1,75,435 i.e. 42.71% above HPSR2009/estimated cost ₹1,22,928
	चलत बिल संख्या	Ist & Final
	वाऊचर संख्या	54, दिनांक 18.12.2013, राशि ₹1,74,063
	माप पुस्तिका संख्या	68, पृष्ठ–63 से 66 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹1195 की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 5 (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–65 Abstract of cost) "Disposal of excavated earth by mechanical transport I/c loading & unloading uptolead of 5km" की कुल कार्य प्रमात्रा 54.33 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹15,212 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था ओर न ही lead chart सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण और lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹258 प्रति घन मीटर बनता है। ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹1195 (54.33 cum x ₹22(₹280 - ₹258) की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate as per HPSR 2009 = ₹181.05 per Cum

ADD Contractor Overall Premium 42.71% = ₹77.33

Rate to be paid to Contractor = ₹258.38 say ₹258 per cum

50	कार्य का नाम	C/o CC Road near Water Supply shceme to Durga Mata Mandir galli in ward no. 9 M.C. Nalagarh.
	ठेकेदार का नाम	Shri Dharamveer Singh
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/761-763, Dated 24-7-2013 for ₹14,48,486 i.e. 46.11% above HPSR2009/estimated cost ₹9,91,329
	चलत बिल संख्या	2nd & Final
	वाऊचर संख्या	35(i), दिनांक 10.12.2013, राशि ₹1,56,264
	माप पुस्तिका संख्या	68, पृष्ठ–54 से 58 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹7,272 की राशि का अधिक भुगतान

उक्त निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 2"Excavation in foundation, drains & Channels etc." की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 181.79 घन मीटर का ₹240 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹43,630 की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–57 Abstract of cost) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार को quoted rate ₹245 के बदले negotiated rate ₹200 प्रति घन मीटर की दर अनुबन्धित थी। **(परिशिष्ट –"ण")** अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹7272 की राशि {181.79 cum x ₹40 (₹240 - ₹200)} का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹0.05 की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 10 (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–58 Abstract of cost) "Disposal of excavated earth by mechanical transport I/c loading & unloading upto lead of 5km" की कुल कार्य प्रमात्रा 358.78 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹1,00,458 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था और न ही lead chart सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से

पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण और lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹265 प्रति घन मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹5,382 (358.78 cum x ₹15(₹280 - ₹265) की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate as per HPSR 2009 = ₹181.05 per Cum

ADD Contractor Overall Premium 46.11% = ₹83.48

Rate to be paid to Contractor = ₹264.53 say ₹265 per cum

(3) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹1,69,483 की राशि का अनाधिकृत भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त कार्य मदों (Extra items) का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना करवाकर ठेकेदार को ₹1,69,483 की राशि का अनाधिकृत भुगतान किया गया जोकि अनियमित है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जााए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रमांक	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	अतिरिक्त कार्य मद का विवरण	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹में)	भुगतान की राशि (₹में)
1	68, P-58	P/L Tor Steel I/C cutting , bending Hoisting etc.	359.45 kg	70 per kg	25161
2	68, P-58	Steel work welded in built up section I/C cutting, Joisting & hoisting etc. & applying primary coat of red lead paint	516.05 kg	85 per kg	43864

3	68, P-58	Disposal of excavated earth by mechanical treansport I/cloading & unloading upto lead of 5 km	358.78 cum	280 per cum	100458
				Total	**169483**

51	कार्य का नाम	P/L interlocking tiles from Park Gate to SDM Residence (East Side).
	ठेकेदार का नाम	Shri Ram Chand
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/1441, Dated 5-12-2013 for ₹1,25,749 i.e. 30.30% above HPSR2009/estimated cost ₹96,511
	चलत बिल संख्या	1st & Final
	वाऊचर संख्या	56, दिनांक 16.12.2013, राशि ₹1,17,831
	माप पुस्तिका संख्या	69, पृष्ठ–46 से 49 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) Lead chart को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बगैर ₹7,034 की राशि का ठेकेदार को भुगतान

कार्य मद संख्याः 5 (माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–49 Abstract of cost) "Disposal of excavated earth by mechanical transport I/c loading & unloading upto lead of 5km" की कुल कार्य प्रमात्रा 25.12 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹7,034 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार कार्य मद से सम्बन्धित lead chart न तो बनाया गया और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाकर ही भुगतान किया जाना चाहिए था तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹7,034 की राशि का अनियमित भुगतान किया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

52	कार्य का नाम	P/L interlocking tiles from Park Gate to SDM Residence (West Side).
	ठेकेदार का नाम	Shri Ram Chand
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/1441-A, Dated 5-12-2013 for ₹1,26,078 i.e. 30.31% above HPSR2009/estimated cost ₹96,750

चलत बिल संख्या	1st & Final
वाऊचर संख्या	56(i), दिनांक 16.12.2013, राशि ₹1,27,012
माप पुस्तिका संख्या	68, पृष्ठ–60 से 63 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹555 की राशि का अधिक भुगतान

कार्य मद संख्याः 1(माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–62 Abstract of Cost) "Excavation in foundation, drains & Channels etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 27.76 घन मीटर का ₹180 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹5,552 की राशि का भुगतान किया गया था जबकि वास्तविकता में यह राशि ₹4,997 बनती थी। अतः गणना में त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹555 की राशि का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) Lead chart को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बगैर ₹7,773 की राशि का ठेकेदार को भुगतान

कार्य मद संख्याः 5 (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–63 Abstract of cost) "Disposal of excavated earth by mechanical transport I/c loading & unloading upto lead of 5km" की कुल कार्य प्रमात्रा 27.76 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹7,773 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार कार्य मद से सम्बन्धित lead chart न तो बनाया गया और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाकर ही भुगतान किया जाना चाहिए था तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹7,773 की राशि का अनियमित भुगतान किया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

53	कार्य का नाम	Development of M.C. Park in Ward No. 2 Near DSP Residence Nalagarh
	ठेकेदार का नाम	Shri B.S. Bedi
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/1435, Dated 5-12-2013 for ₹1,61,815 i.e. 64.54% above HPSR2009/estimated cost ₹98,342
	चलत बिल संख्या	1st, 2nd & Final
	वाऊचर संख्या	55(i) & 60(i) दिनांक 16.12.2013 & 23-12-2013, राशि ₹1,35,791 और ₹40,171/–

माप पुस्तिका संख्या 69, पृष्ठ–40 से 44 तक और 68, पृष्ठ–68 से 70 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹0.16 लाख की राशि का अधिक भुगतान

(i) कार्य मद संख्याः 1(माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–69 Abstract of Cost) "Cutting in earth work I/C dressing leveling etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 182.41 घन मीटर का ₹180 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹32,834 की राशि का भुगतान किया गया था इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–40 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटि के कारण Width average 29.10m {(27.80+15.20)/2} आंकी गई थी जबकि वास्तविकता में यह 21.50m बनती थी। अतः गणना की इस त्रुटि के कारण निम्न विवरणानुसार 34.20 घन मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹6156 बनता है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मीटर (₹में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
15.00x29.10Avg x 0.30 Avg=130.95 cum	15.00x21.50avg x 0.30 avg=96.75cum	34.20cum	180 per cum	6156

(ii) कार्य मद संख्याः 7/Extra item (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–70 Abstract of cost) "Disposal of excavated earth by mechanical transport I/cloading & unloading upto lead of 5 Km." की कुल कार्य प्रमात्रा 182.41 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹51,075 की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–69 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि उक्त पैरा (A) मे वर्णित गणना की त्रुटि के कारण वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा 148.21 घन मीटर तथा ₹280 प्रति घन मीटर की दर से देय भुगतान की राशि ₹41,499 बनती थी। इस प्रकार ठेकेदार को ₹9,576 (₹51,075 – ₹41,499) की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) कार्य मद संख्याः 4 (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–70 Abstract of Cost) "P/L 15mm thick cement plaster on rough surface of brick masonry for giving smooth finish" की कुल कार्य प्रमात्रा 305.50 वर्ग मीटर का ₹150 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹45,825

की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–42 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 2.81 वर्ग मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹422 बनता है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मीटर (₹में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
1x4.50x0.075=3.15sqm	1x4.50x0.075=0.34sqm	2.81sqm	150 per sqm	422

2) Lead chart को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बगैर ₹51,075 की राशि का ठेकेदार को भुगतान

कार्य मद संख्याः 7/Extra item (माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–70 Abstract of cost) "Disposal of excavated earth by mechanical transport I/c loading & unloading upto lead of 5km" की कुल कार्य प्रमात्रा 182.41 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹51,075 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार कार्य मद से सम्बन्धित lead chart न तो बनाया गया और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाकर ही भुगतान किया जाना चाहिए था तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹51,075 की राशि का अनियमित भुगतान किया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹61,549 की राशि का अनाधिकृत भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य मदों (Extra/substituted items) का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना करवाकर ठेकेदार को ₹61,549 की राशि का अनाधिकृत भुगतान किया गया जोकि अनियमित है जिसका

पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रमांक	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	अतिरिक्त / प्रतिस्थापित कार्य मद का विवरण	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹में)	भुगतान की राशि (₹में)
1	68, P69	P/L finishing wall with weather proof exterior grade emulsion of approved design or its equivalent	261.84 sqm	40 per sqm	10474
2	68, P-70	Disposal of excavatd earth by mechanical transport I/cloading & unloading upto lead of 5 Km	182.41 cum	280 per cum	51075
				Total	**61549**

54 कार्य का नाम — C/o Parking near Rest House M.C. Nalagarh

ठेकेदार का नाम — Shri Suzal Khan

अनुबन्ध संख्या — MC/NLG/Works/688-691, Dated 10-7-2013 for ₹84,16,285 i.e. 196.28% (Actually 213.24%) above HPSR2009/estimated cost ₹28,40,583 (Actually ₹26,84,844)

चलत बिल संख्या — 1st , to 6th

वाऊचर संख्या — 29 दिनांक 20.03.2014, राशि ₹8,57,254 (6th R/bill)

माप पुस्तिका संख्या — 70, पृष्ठ–1 से 28 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) निर्माण कार्य बिलों से काटे गए बिक्री कर व आय कर की राशि ₹0.48 लाख का सम्बन्धित विभाग को अधिक भुगतान करना

उपरोक्त कार्य बिल के लेखा परीक्षण करने के दौरान पाया गया कि ठेकेदार द्वारा छठे चलत बिल तक निष्पादित किए गए कार्य का कुल मुल्य की गयी कटौतियों तथा भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से था (माप पुस्तिका संख्या5 70, पृष्ठ–28) :–

Gross Amount			**30,27,792**
Deductions:	1. Security	1,25,695	
	2. Income Tax	69,639	
	3. Sales Tax	90,834	
	Total Deductions	**2,86,168**	**(-) 2,86,168**
	Total Amount Due		**27,41,624**
Less: Amount paid upto 6th Running /bill			(-) 18,84,370
Nett amount paid vide Ch. No. 447577, dated 20-3-2014			**₹8,57,254**

उक्त विवरण अनुसार काटे गए आय कर व बिक्री कर की राशि के विरूद्ध परिषद द्वारा सम्बन्धित विभाग को निम्न विवरण अनुसार क्रमशः 20,836 व ₹27,179 =₹48,015 की राशि देय राशि से अधिक भुगतान/जमा की गई थी जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब सम्बन्धित विभाग/ठेकेदार को भविष्य मे देय राशि में से समायोजित करके किया जाए अन्यथा चूककर्त्ता अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके परिषद निधि में भरपाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

वाऊचर संख्या व दिनांक	चैक संख्या व दिनांक	विवरण	छठे चलत बिल तक भुगतान राशि में समल्लित राशि (₹में)	काटी गई राशि जोकि भुगतान/ जमा की जानी चाहिए थी (₹में)	अधिक भुगतान/ जमा की गई राशि (₹में)
19 of 1-2-2014	982068	Income tax	27796		
	982069 of 3-2-2014	Sales tax	36256		
18 of 1-3-2014	447562	Income tax	41295		
	447563 of 4-3-2014	Sales tax	53864		
37 of 27-3-2014	447585	Income tax	31384		
	447586 of	Sales tax	27893		

27-3-2014					
Total	**Income tax**	**90475**	**69639**	**20836**
	Salex tax	**118013**	**90834**	**27179**

(2) तकनीकी अनुमान से ₹33.25 लाख अधिक राशि पर ठेकेदार को कार्य का अनियमित आबंटन करना

उक्त कार्य का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि इस निर्माण कार्य की DNIT की तकनीकी स्वीकृति पत्र संख्याः UD-H(F)-NLG/Engg. Cell, 15058-59, dated 28-11-2011 द्वारा निदेशक, शहरी विकास ने ₹26,86,844 की प्रदान की थी तथा ₹50,91,000 के अनुमान की तकनीकी स्वीकृति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला–2 द्वारा प्रदान की गई थी। कार्य का आबंटन ₹84,16,285 में किया गया जोकि 213.24% Above HPSR 1999 व टैण्डर राशि ₹26,86,844 से अधिक था। निर्माण कार्य का टैण्डर बहुत ही ऊँची दरों पर आबंटित किया गया प्रतीत होता है क्योंकि यह तकनीकी स्वीकृति की राशि से ₹33,25,285 अर्थात 65.32% अधिक था जोकि नियमानुसार नहीं होना चाहिए था और ऐसा आबंटन निमयों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। निर्माण कार्य के कार्य मद दरों की विभागीय Justification अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा मौखिक तौर पर सूचित किया गया कि यह तैयार ही नहीं की गई है। अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन करते हुए इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा या तो सक्षम अधिकारी की संशोधित स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) गलत दर/गणना के कारण ठेकेदार को ₹24,506 की राशि का अधिक भुगतान

(i) कार्य मद संख्याः 4(माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–27 Abstract of Cost 6th R/bill) “P/L 1:1:5:3 & curing complete excluding the cost of form work & reinforcement-(a) footings, basis etc.” की कुल कार्य प्रमात्रा 58.442 घन मीटर का ₹4989 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹2,91,567 की राशि का भुगतान किया गया था इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–2(1st R/bill) पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार 03.02 घन मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹15,067 बनता है जिसकी वसूली अब उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Footings column nos.	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मीटर (₹में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
A,A4 =2no.	$2x\frac{0.30}{3}\{(0.55x0.55)+2.00x2.00)+\frac{4.3025}{2}\}$ =1.29 cum	$2x\frac{0.30}{3}\{(0.55x0.55)+(2.00x2.00)+V(0.55x0.55)x(2.00x2.00)\}$=1.08 cum	0.21 cum	4989	1048
A2,A3 =2no	$2x\frac{0.40}{3}\{(0.55x0.55)+(2.35x2.35)+2.91\}$ =2.329 cum	$2x\frac{0.40}{3}\{(0.55x0.55)+(2.35x2.35)+V(0.55x0.55)X(2.35x2.35)\}$=1.90 cum	0.43 cum	4989	2145
D3 =1no.	$1x\frac{0.50}{3}\{(0.55x0.55)+(2.95x2.95)+\frac{(8.70+0.30)}{2}\}$ =2.25 cum	$1x\frac{0.50}{3}\{(0.55x0.55)+(2.95x2.95)+V(0.55x0.55)X(2.95x2.95)\}$ =1.77 cum	0.48 cum	4989	2395
B1,B4, C1,C4 D1,D4 =6no.	$6x\frac{0.45}{3}\{(0.55x0.55)+(2.60x2.60)+\frac{(6.76+0.30)}{2}\}$ =9.53 cum	$6x\frac{0.45}{3}\{(0.55x0.55)+(2.60x2.60)+V(0.55x0.55)X(2.60x2.60)\}$=7.63 cum	1.90 cum	4989	9479
			3.02 cum	**4989 per cum**	**15067**

(ii) कार्य मद संख्याः 5(माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–27, Abstract of cost 6th R/bill) "P/L form work using steel plates for giving smooth finish-(b) columns & beam" की कुल कार्य प्रमात्रा 801.31 वर्ग मीटर का ₹225 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹1,80,295 की राशि का भुगतान किया गया। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–25 (6th R/bill) पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटि के कारण निम्न विवरणानुसार 26.63 वर्ग मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹5,992 बनता है जिसकी वसूली अब उचित स्त्रोत से करके अनुपालनप से अंकेक्षण को अगवत करवाया जाए :–

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति वर्ग मीटर (₹में)	अधिक भुगतान की राशि (₹में)
Slab beams : 4x3x2x5.55x.48 = 90.57 sqn	4x3x2x5.55x.48 =63.94 sqm	26.63 sqm	225	5,992

(iii) उक्त निर्माण कार्य का उपलबध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 5/6 (माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–27 Abstract of Cost 6th R/bill) "Providing form work using steel plates for giving smooth finish-(b) footing" की कुल कार्य प्रमात्रा 45 वर्ग मीटर का ₹270 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹12,150 की राशि का भुगतान किया गया था जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार से quoted rate ₹210 के बदले negotiated rate ₹200 प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुबंधित थी (**परिशिष्ट–"त"**)। अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹3,150 की राशि {45 sqm x ₹70 (₹270 - ₹200)} का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 7 (माप पुस्तिका संख्याः 70 पृष्ठ–27 Abstract of cost 6th R/bill) "Sand filling under flooring, footings etc. I/C ramming etc. complete" की कुल कार्य प्रमात्रा 65.19 घन मीटर का ₹1100 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹71,709 की राशि का भुगतान किया गया। माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–18, 4th R/bill की कार्य प्रमात्रा 16.141 घन मीटर को माप पुसितका संख्याः 70 पृष्ठ–21 R/entry of 5th R/bill में 16.41 घन मीटर अग्रेषित किया गया था जोकि 0.27 घन मीटर अधिक थी। अतः इस प्रकार कार्य प्रमात्रा 0.27 घन मीटर का ₹1100 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹297 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवया जाए।

(4) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य मद निष्पादन पर ठेकेदार को ₹2,71,776 की राशि का अनाधिकृत भुगतान

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त कार्य मदों (Extra items) का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना करवाकर ठेकेदार को ₹2,71,776 की राशि का अनाधिकृत

भुगतान किया गया जोकि अनियमित है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जााए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रमांक	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	अतिरिक्त कार्य मद का विवरण	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान दर (₹में)	भुगतान की राशि (₹में)
1	70, P-27	Cutting in earth work I/C disposal of excavated earth within 20m lead	650.85 cum	135 per cum	87864
2	70, P-27	Sand filling under flooring, footings etc. I/C ramming etc. complete	65.19 Cum	1100 per cum	71709
3	70, P-28	P/L stone soiling under flooring with stones of approved quality	97.568 cum	1150 per cum	112203
				Total	**271776**

(5) अतिरिक्त कार्य मद के निष्पादन पर ठेकेदार को ₹0.52 लाख की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

(i) अतिरिक्त कार्य मद संख्या 7 (माप पुस्तिका संख्या 70, पृष्ठ–27 Abstract of Cost 6th R/bill) "sand filling under flooring, footings etc. I/C ramming etc. complete" की कुल कार्य प्रमात्रा 65.19 घन मीटर का ₹1100 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹71,709 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवम सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा 12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹633 प्रति घन मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹30,444 {65.19 cum x ₹467(₹1100-₹633)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate as per HPSR 1999 = ₹213.70 per cum

Add Contracter Overall Premium 196.28% = ₹419.45/-

Rate to be paid to Contracter ₹633.15 say ₹633 per cum

(ii) अतिरिक्त कार्य मद संख्याः 9 (माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–28 Abstract of Cost 6th R/bill) "P/L stone soiling under flooring with stones of approved quality" की कुल कार्य प्रमात्रा 97.568 घन मीटर का ₹1150 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹1,12,203 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की ठेकेदार को प्रदत्त भुगतान दर का नियमानुसार निर्धारण नहीं किया गया था जो कि अनियमित था क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की धारा–12 के अन्तर्गत भुगतान दर का निर्धारण करके किया जाना चाहिए था जोकि निम्नानुसार ₹924 प्रति घन मीटर बनता है तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹22,050 {97.568 cum x ₹226 (₹1150 - ₹924)} की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Rate as per HPSR 1999 = ₹312 per cum

Add Contractor Overall premium 196.28% = ₹612.39

Rate to be paid to Contractor = ₹924.39 say ₹924 per cum

55	कार्य का नाम	C/o R/wall in W.No.. 3 near Shiv Mandir/garbage container Plarform
	ठेकेदार का नाम	Shri Ajay Thakur
	अनुबन्ध संख्या	MC/NLG/Works/1494, Dated 16-12-2013 for ₹1,32,557 i.e. 50.85% above HPSR2009/estimated cost ₹87,872
	चलत बिल संख्या	1st & Final
	वाऊचर संख्या	63 दिनांक 24.12.2013, राशि ₹82,884
	माप पुस्तिका संख्या	69, पृष्ठ–49 से 52 तक (Record entry/Abstract of cost)

(1) Lead chart को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बगैर ₹10,629 की राशि का ठेकेदार को भुगतान

कार्य मद संख्याः 8(माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–51 Abstract of cost) “Disposal of excavated earth by mechanical transport I/c loading & unloading upto lead of 5km” की कुल कार्य प्रमात्रा 37.96 घन मीटर का ₹280 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹10,629 की राशि का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत अभिलेख एवं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा उपलब्ध मौखिक सूचना अनुसार कार्य मद से सम्बन्धित lead chart न तो बनाया गया और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को वर्णित कार्य मद का भुगतान करने से पूर्व lead chart को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाकर ही भुगतान किया जाना चाहिए था तथा ऐसा न करने के कारण ठेकेदार को ₹10,629 की राशि का अनियमित भुगतान किया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

56 निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से राशि ₹9.78 लाख के दण्ड शुल्क की वसूली न करना

ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निम्न वर्णित निर्माण काग्र पूर्ण नहीं करने पर न तो कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार दण्ड शुल्क (Penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा काग्र पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढ़ौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा न केवल निम्नानुसार ₹9,77,565/– की राशि के देय दण्ड शुल्क की वसूली करके परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अपितु अंकेक्षण अवधि में इस अनियमितता से सम्बन्धित समस्त ऐसे प्रकरणों में भी अपेक्षित कार्यवाही/वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाएः–

कार्य का नामः C/o retaining wall in ward No. 9 along Surendra Marg near Hanuman Mandir Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री चुनी लाल, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/688, Dated 10-7-2013, ₹3,24,718, माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–49 से 51 तक

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निशिचित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹में)	विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹में)

One Month	25-7-2013 20-9-2013	1Month 25 Days	1% per day of delay subject to max. 10% of tendered amount i.e. ₹3247/- per day subject to max ₹32472/-	₹32472 (max)

56.1 कार्य का नामः C/o Batteries of Six cells each in Solid Waste Treatment for Nalagarh Town. ठेकेदार का नामः श्री बी0एस0 बेदी, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/2011-848, Dated 21-6-2011, ₹29,96,193, चलत बिल संख्याः 2nd & Final माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–1 से 24 तक, वाऊचर संख्याः 18, दिनांक 4.7.2012, ₹6,14,913/–

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निशिचित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरम्भ /पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹में)	विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹में)
Six Month	*6-7-2011 15-6-2012	11 Month 11 Day	₹2000/- per day of delay subject to max ₹50,000/-	50,000/- (Max)

*संख्या शर्त के पत्र आबंटन के अनुसार कार्य आबंटन तिथि 15.6.2012 से 15वें दिन से कार्य आरम्भ करने की Deemed date

56.2 कार्य का नामः C/o Street in Ward No. 2 near M.C Office (Old) building in front of meat market (old) at Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री गुरजिन्द्र सिंह, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/773, Dated 25-7-2013, for ₹3,70,818/-, चलत बिल संख्याः 3rd & Final वाऊचर संख्याः 54(ii), दिनांक 18.12.2013, ₹16,735/–माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–66 से 68 तक

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निशिचित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरम्भ /पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹में)	विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹में)
One Month	1-8-2013 21-10-2013	2 Month 21 Day	1% per day of delay subject to max 10% of tendered amount i.e. ₹3708/- per day	₹37,082/- (Max)

subject to max ₹37,082/-

56.3 कार्य का नामः Demolition & Re-C/o Boundary Wall at M.C. Park in Ward No. 7 Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री बी0एस0 बेदी, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/596, Dated 13-6-2013, for ₹1,63,816/-, चलत बिल संख्याः 1st वाऊचर संख्याः 61, दिनांक 23.12.2013, ₹52,580/–माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–74 से 76 तक

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निशिचित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरम्भ /पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹में)	विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹में)
One Month	4-7-2013 20-01-2014	6 Month 16 Day	1% per day of delay subject to max 10% of tendered amount i.e. ₹16,388/- per day subject to max ₹16,382/-	₹16,382/- (Max)

56.4 कार्य का नामः C/o Parking ner Rest House M.C.Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री सूज़ल खान, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/688-691, Dated 10-7-2013, for ₹84,16,285/-, चलत बिल संख्याः 1st to 6th वाऊचर संख्याः 29, दिनांक 20.03.2014, ₹8,57,254/– (6th R/Bill) माप पुस्तिका संख्याः 70, पृष्ठ–1 से 28 तक

निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निशिचित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरम्भ /पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की दर (₹में)	विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹में)
Four Month	5-10-2013 In progress on 9-10-2014 (MB No. 70 P-39)	6 Month 16 Day	1% per day of delay subject to max 10% of tendered amount i.e. ₹84,162/- per day subject to max ₹8,41,629/-	₹8,41,629/- (Max)

Total ₹9,77,565/-

57 निर्माण कार्य में प्रयोग किए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर ₹0.43 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्याः II(F)6-5/2006, dated 16-1-2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चुना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रोयल्टी देय है। ठेकेदारों द्वारा वर्णित निम्र्रण कार्य में निम्न विवरण अनुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज़ में सरकार को अदा की गई रोयल्टी के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र ''एम'' प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशोनानुसार निर्धारित दर से रोयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रोयल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णीत फॉर्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदारों से रोयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर रोयल्टी की सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

कार्य का नामः C/o retaining wall to solid waste treatment plant at Village-Manjholi for Nalagarh Town RD O/O to 50 mtr. ठेकेदार का नामः श्री बी0एस0 बेदी, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/2012-531-33, Dated 28-4-2012, for ₹7,27,894/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 33, दिनांक 5/2012, ₹6,14,494/– माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–7 से 9 तक

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रोयल्टी की दर टन प्रति (₹में)	रोयल्टी की देय राशि (₹में)
5/E.I.	Boulder Filling behind R/Wall	60.07 cum	66.08 cum (60.07x1.10)	153.31 (66.08x2.32)	40	6132

57.1 कार्य का नामः C/o Batteries of Six Cells each in Solid Waste Treatment for Nalagarh Town ठेकेदार का नामः श्री बी0एस0 बेदी, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/2011-848, Dated

21-6-2011, for ₹29,96,193/-, चलत बिल संख्याः 1st 2nd & Final माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–1 से 24 तक, वाऊचर संख्याः 64, दिनांक 24.5.2012, ₹10,38,622/– और 18 दिनांक 4.7.2012 ₹6,14,913/–

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रोयल्टी की दर टन प्रति (₹में)	रोयल्टी की देय राशि(₹में)
4	RR Masonry in F/P in CM 1:6	230.06 cum	315.18 cum (230.06x1.37)	731.22 (315.18x2.32)	40	29249

57.2 कार्य का नामः C/o Retaining Wall to Solid Waste treatment Plant at Village Manjholi for Nalagarh Town RD 50 to 100 mtr. ठेकेदार का नामः श्री बी0एस0 बेदी, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/2012-534-36, Dated 28-4-2012, for ₹7,27,894/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 34, दिनांक 7.5.2012 ₹6,55,877/– माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–10 से 12 तक,

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रोयल्टी की दर टन प्रति(₹में)	रोयल्टी की देय राशि(₹में)
5/E.I	Boulder Filling behind R/Wall	63.45 cum	69.80 Cum (63.45x 1.10)	161.94 (69.80x2.32)	40	6478

57.3 कार्य का नामः C/o Retaining Wall in Ward No. 3 near Shiv Mandir/Garbage container Platform. ठेकेदार का नामः श्री अजय ठाकुर, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/1494, Dated 16-12-2013, for ₹1,32,557/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 63, दिनांक 24.12.2013 ₹82,884/– माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–49 से 52 तक

अनुबन्ध की कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रोयल्टी की दर टन प्रति (₹में)	रोयल्टी की देय राशि(₹में)
9	Stone filling behind R/Wall	8.40 cum	9.24 cum (8.40x1.10)	21.44 ((9.24x2.32)	40	858
					Total	**₹42,717**

इसी प्रकार ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त वर्णित एवं अन्य निर्माण कार्य में उपयोग की गई अन्य निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी, इत्यादि की एवज़ में सरकार को अदा की गई रोयल्टी के प्रमाण स्वरूप न तो विहित प्रपत्र ''एम'' ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानानुसार निर्धारित दर से रोयल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में ही जमा करवाई गई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परोक्ष रूप से ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकारी खजाने को हानि। अतः ठेकेदारों से रोयल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए या फिर देय रोयल्टी की अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित स्त्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

58 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में राशि ₹4.55 लाख की Deviation राशि का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान

निम्न निर्माण कार्यों को ठेकेदारों द्वारा आबंटित राशि से अधिक राशि में पूर्ण किया गया था। इस प्रका कार्यों में ₹4,53,430 की overall deviation का भुगतान ठेकेदारों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही किया गया था जोकि अनाधिकृत होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार वर्णित राशि का भुगतान ठेकेदारों को सक्षम प्राधिकारी से deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित था। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब या तो सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस अनाधिकृत भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

कार्य का नामः C/o Retaining wall to solid waste treatment plant at Village Manjholi for Nalagarh Town. RD 50 to 100 mtr. ठेकेदार का नामः श्री बी0एस0 बेदी, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/2012-534-36, Dated 28-4-2012, for ₹7,27,894/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 34, दिनांक 7.5.2012, ₹6,55,877/– माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ–10 से 12 तक

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
7,27,894/–	7,65,317/–	37,423/-	5.14%

58.1 कार्य का नामः C/o Platform for garbage container near Shiv Mandir in Ward No. 3 Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री अजय ठाकुर, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/1495, Dated 16-12-2013, for ₹1,05,088/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 67, दिनांक 24.12.2013, ₹98,827/– माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–54 से 57 तक

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
1,05,088/–	1,16,679/–	11,591/-	11.03%

58.2 कार्य का नामः C/o P/L Hume Pipeline in Ward NO. 8 from H/O Smt. Kamlesh to H/o Sh. Dinesh Kumar Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री साजन सिंह, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/994-96, Dated 24-8-2013, for ₹1,30,786/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 68, दिनांक 24.12.2013, ₹1,85,006/– माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–57 से 61 तक

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
1,30,786/–	2,18,425/–	87,639/-	67%

58.3 कार्य का नामः Re-C/o Street in Ward No. 7 near Park from Plot of Sh. Sanjeev Verma to Park Chowk. ठेकेदार का नामः श्री साजन सिंह, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/695, Dated 11-7-2013, for ₹1,75,435/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 54, दिनांक 18.12.2013, ₹1,74,063/– माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–63 से 66 तक

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
1,75,435/–	2,05,505/–	30,070/-	17.14%

58.4 कार्य का नामः C/o CC Road near Water Supply Scheme to Durga Mata Mandir Galli in Ward No. 9 M.C. Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री धर्मवीर सिंह, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/761-763, Dated 24-7-2013, for ₹14,48,486/-, चलत बिल संख्याः 2nd & Final वाऊचर संख्याः 35(1), दिनांक 10.12.2013, ₹1,56,264/– माप पुस्तिका संख्याः 68,

पृष्ठ–54 से 58 तक

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
14,48,486 / –	16,52,016 / –	2,03,530/-	14.05%

58.5 कार्य का नामः P/L interlocking tiles from Park Gate to SDM Residence (East Side). ठेकेदार का नामः श्री राम चन्द, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/1441, Dated 5-12-2013, for ₹1,25,749/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 56, दिनांक 16.12.2013, ₹1,17,831 / – माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–46 से 49 तक

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
1,25,749 / –	1,39,116 / –	13,367/-	10.63%

58.6 कार्य का नामः P/L interlocking tiles from Park Gate to SDM Residence (West Side). ठेकेदार का नामः श्री राम चन्द, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/1441-A, Dated 5-12-2013, for ₹1,26,078/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final वाऊचर संख्याः 56(1), दिनांक 16.12.2013, ₹1,27,012 / – माप पुस्तिका संख्याः 68, पृष्ठ–60 से 63 तक

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
1,26,078 / –	1,49,956 / –	23,878/-	18.94%

58.7 कार्य का नामः Development of M.C. Park in Ward No. 2 near DSP residence Nalagarh. ठेकेदार का नामः श्री बी0एस0 बेदी, अनुबन्ध संख्याः MC/NLG/Works/1435, Dated 5-12-2013, for ₹1,61,815/-, चलत बिल संख्याः 1st & Final माप पुस्तिका संख्याः 69, पृष्ठ–40 से 44 तक और 68 पृष्ठ–68 से 70 तक, वाऊचर संख्याः 55(1) ओर 60(1) दिनांक 16.12.2013 और 23.12.2013, ₹1,35,791 / – एवं ₹40,171 / –

निर्माण कार्य आबंटन राशि (₹ में)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹ में)	Deviation राशि (₹ में)	Overall Deviation
1,61,815 / –	2,07,747 / –	45,932/-	28.39%
	कुल जोड़	₹4,53,430/-	

59 ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना पर ₹78.21 लाख की राशि का निष्फल व्यय

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 सह पठित नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबन्धन व संभाल) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत नगर कचरे के विज्ञानिक विधि द्वारा निस्तारण हेतु ठोस कचरा प्रबन्धन की जगह का विकास करना परमावश्यक है ताकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरण से सम्बन्धित दुविधाओं से बचा जा सके। इस सम्बन्ध में जैसा कार्यकारी अधिकारी के

पत्र दिनांक 11.4.2008 **(परिशिष्ट–''थ'')** से स्पष्ट विदित होता है कि इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु 12 वें वित्तायोग की सिफारिशों के अन्तर्गत निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 15.1.2007 को ₹53.33 लाख की धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी। इस परियोजना को गांव मझौली, तहसील नालागढ़ में स्थापित करने हेतु इसके प्रथम व दूसरे चरण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) क्रमशः ₹47.95 व ₹18.45 = कुल ₹66.40 लाख की लागत का निजी वास्तुकार श्री जी0एस0 घुम्मन, अरविन्द मार्ग ऊना, हिमाचल प्रदेश से तैयार करवाया गया था तथा ₹34.81 लाख के अनुमानों को तकनीकी रूप से कार्यकारी अभियन्ता HPSIDC बद्दी द्वारा जांचा गया था। कार्यकारी अधिकारी के **परिशिष्ट–''थ''** पर दिनांक 1.1.2013 के पत्रानुसार परियोजना का कार्य भूमि विवाद के चलते लगभग 4 वर्ष के लम्बे अन्तराल के उपरान्त माह 10/2011 में आरम्भ हो सका तथा दिनांक 1.1.2013 तक इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु ₹69.10 लाख खर्च किए जा चुके थे, किन्तु निम्न वर्णित गौण कार्य के क्रियान्वयन शेष रहने के कारण यह परियोजना चालू नहीं की जा सकी जिसके लिए धन की उपलब्धता का इंतजार है :–

1. Construction of approach road upto SWM site;
2. Construction of Lab, Chowkidar room, strore & Toilet;
3. Development of Landfill site;
4. Provision of water supply; and
5. Electric connection etc.

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 26/2015, दिनांक 28.2.2015 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–''थ'',** द्वारा उपलब्ध नवीनतम स्थिति अनुसार इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु ₹75.28 लाख खर्च किए जा चुके थे किन्तु Construction of approach road upto SWM site का कार्य शेष रहने के कारण यह परियोजना दिनांक 10.3.2015 तक भी चालू नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 15.1.2007 को ₹53.33 लाख की जो धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी उसे दिनांक 10.5.2012, 5 वर्ष तक पंजाब नैशनल बैंक नालागढ़ में सावधिक जमा (FDR) में निवेश किया गया था तथा इस पर तिमाही देय ब्याज बचत खाता (SWM) संख्याः 2721000109283137 में जमा होता रहा और दिनांक 9.9.2014 को इसमें ₹27.21 लाख की राशि शेष जमा थी (**परिशिष्ट–''ख''**) अतः यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि परियोजना को चालू करने हेतु धन उपलब्ध नहीं था।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट होता है कि धन उपलब्ध करवाने के उपरान्त 8 वर्ष का लम्बा समय बीत जाने के बाबजूद भी वर्णित परियोजना गौण कार्य के क्रियान्वयन न करने के

कारण चालू नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप इस पर अब तक किया गया कुल ₹78.21 लाख का व्यय निष्फल (Unfruitful) बना दिया गया है। अतः यह सम्पूर्ण प्रकरण निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु इस परामर्श के साथ लाया जाता है कि परियोजना को चालू करने हेतु तुरन्त जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो तथा इस पर अब तक किया गया कुल ₹78.21 लाख का व्यय भी फलदायी (Fruitful) बन सके और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

60 कालातीत हो चुकी ₹0.19 लाख की प्रतिभूति जमा राशियों का वापसी भुगतान करना

CPWD Manual के पैरा 23.10 में वर्णित प्रावधानानुसार "The claim for refund of security deposit is governed by the Limitation Act. The period of limitation is 3 years commencing from the date the right to due accrues. In the case of security deposit paid along with the individual contract, the right to due would accrue unde clause 17 after the maintenance period". चयनित माह के व्यय/भुगतान वाऊचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि उक्त वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल ठेकेदारों को Limitation Period की समाप्ति के 1 से 1½ वर्ष बाद निम्न विवरण अनुसार कालातीत हो चुकी प्रतिभूति जमा राशियों का वापसी भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है :–

क्र0 सं0	ठेकेदार/निर्माण कार्य का नाम तथा आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	माप पुस्तिका व पृष्ठ संख्या तथा वाऊचर संख्या व दिनांक	निर्माण कार्य पूर्ण करने/ रख–रखाव अवधि समाप्ति की तिथि	भुगतान की तिथि व चैक संख्या	देय व भुगतान तिथियों में अन्तर की अवधि	प्रतिभूति वापसी भुगतान की राशि (₹में)
1	Sh. Bhupinder Singh Bedi C/o R/wall near H/o Smt. Pushpa Sood in W.No. 2 MC NLG(No. 349 dt. 18-5-2009)	58 P-78 33 of 12/13	15-6-2009/ 15-12-2009	6-12-13/ 004258	4 Yr.	4737
2	Sh. Bhupindr Singh Bedi C/o Pavement in Street in W.No. 5 with interlocking tiles in MC NLG (501 dt. 25-6-2009)	58 P-82 33 of 12/13	29-6-2009/ 29-12-2009	6-12-13/ 004258	3 Y 11 M	10453

3	Sh. Surinder Kumar Rapair & Maintenance of MC Office building in NLG (1076-78 dt. 23-8-2011)	57 P-75 46 of 12/13	2-12-2008/ 2-6-2009	12-12-13/ 441313	4 Y 6 M	1502
4	Sh. Surinder Kumar Renovations of room in MC Office building (Rehan Basera building)	58 P-68 46 of 12/13	15-2-2009/ 15-8-2009	16-12-13/ 441313	4 Y 4 M	2757
					Total	**₹19449**

उक्त अनियमितता का संज्ञान लेते हुए या तो इसे नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से अनियमित भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

61 स्टोर स्टॉक का/नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1955 के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापना करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक, द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गयी थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंधना के कारण अनियमित है अगर समयानुसार इन प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो सम्भव था कि पैरा 6.1 व 6.2 में वर्णित अनियतिताएं न होती। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

62 विभागीय निर्माण कार्यों हेतु भण्डार से जारी 535 सीमेन्ट बैग के उपयोग सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

सीमेन्ट भण्डार लेखों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार भण्डार से अंकेक्षण अवधिके दौरान कुल 535 सीमेन्ट बैग विभागीय निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए थे परन्तु इन सीमेन्ट बैग के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिका,

एम ए एस रजिस्टर इत्यादि बार–बार अनुरोध करने पर भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे भण्डार से जारी सीमेन्ट बैग के उपयोग की सत्यापना अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

भण्डार रजिस्टर संख्या	भण्डार रजिस्टर पृष्ठ संख्या	अवधि	जारी सीमेन्ट बैग	इण्डैंट संख्या
55	17	1.4.2012 से 25.2.2013	375	Not mentioned
52	15	23.8.2013 से 31.3.2014	160	701 to 709
		कुल योग	**535**	

63 तत्काल आवश्यकता के बिना लाखों की वस्तुओं का क्रय करके परिषद निधि को अवरूद्ध करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 15.19 में स्पष्ट प्रावधन किया गया है कि भण्डार में वस्तुओं के हस्तगत शेष युक्तिसंगत समयावधि की आवश्यकताओं से अधिक या निर्धारित मात्रा की सीमा से अधिक नहीं रखे जाने चाहिए। इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी नियतकालिक निरीक्षण करेगा तथा भण्डार में पाई गयी आवश्यकता से अधिक अनुपयोगी व निष्कृय वस्तुओं की सूचना सक्षम प्राधिकारी को इन वस्तुओं के निस्तारण आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगा। परन्तु चयनित माह के व्यय वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में लाखों की क्रय की गयी वस्तुएं लगभग दो वर्षों से भी अधिक समय से अनुपयोगी पड़ी थी जिनका न तो अंकेक्षण अवधि तक कोई भी उपयोग ही दर्शाया गया था इसके अतिरिक्त नियमानुसार भण्डार का शेष वस्तुओं का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में संशय उत्पन्न होता है कि भण्डार में शेष अनुसार वस्तुएं वास्तविक में भौतिक रूप में मौजूद हैं भी कि नहीं तथा ऐसे में इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति का पता लगा कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

(i) परिषद ने घर–घर से कूडा इक्ट्ठा करने हेतु 1000 डस्ट बिन (पेडल मीडियम) ₹145 प्रति डस्ट बिन की दर से केरला हौंडा एजैंसीज इंडस्ट्रियल एरिया फेज़–II राम दरबार चण्डीगढ़ से बिल संख्याः HAC-265, 19-7-2012 के विरूद्ध ₹1,45,000 + वैट में क्रय किए गए थे (भण्डार

रजिस्टर संख्याः 57 पृष्ठ–48) जिसमें से केवल 300 डस्ट बिन 19 माह की लम्बी अवधि के उपरान्त दिनांक 29.1.2014 को वार्ड संख्याः 7 की जनता में परिषद द्वारा वितरित करके उपयोग किया दर्शाया गया था जबकि 700 डस्ट बिन अभी भी अंकेक्षण तिथि तक भण्डार में शेष पड़े थे। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि नियमों के प्रतिकूल तत्काल आवश्यकता के बिना ₹1,45,000 की वस्तुओं का क्रय करके परिषद निधि को अवरूद्ध किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा क्रय किए गए डस्ट बिनों का तुरन्त सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।

(ii) इसी प्रकार निम्न विवरण अनुसार क्रय की गई वस्तुएं दिनांक 1.4.2012 से पूर्व अर्थात लगभग दो वर्षों से भी अधिक समय से अनुपयोगी पड़ी थी जिसका अंकेक्षण अवधि तक कोई उपयोग नहीं दर्शाया गया था :–

स्टॉक रजिस्टर 58 की पृष्ठ संख्या	वस्तु का नाम	आरम्भिक शेष दिनांक 1.4.2012	अन्तशेष दिनांक 31.3.2014	अभियुक्ति
2	Elbow ½"	27	27	
4	Socket ½"	25	25	
6	Union ½"	32	32	
6	Union ½"	16	16	
7	Tee ½"	24	44	
9	Nipple ½" x 4"	41	41	
10	Lime	30 bag	30 bag	Outstanding since 18-12-09
19	G.I. Wire	24.450 Kg	24.450 Kg	
20	Bib Cock (Iron) ½"	77	77	
21	Angle Valve	6	6	
25	Bib Cock (Bras)	2	2	
27	Assembly	3	3	
28	Cistern Handle	1	1	
29	Syphon Washer	1	1	
30	Frule ½"	2	2	
31	Hexa blade	17	17	
32	Reducer Tee	2	2	

	11/2" x 1"		
33	Reducer Socket 11/2" x 1"	1	1
34	Reducer elbow 11/2" x 1"	1	1
35	Thread	44	42
36	Floting Ball ½"	10	10
37	PVC Floating Ball	1	1
40	Nipple G.I. 1" x 4"	20	20
44	G.I. Plug ½"	25	25
45	G.I. Plug 1"	10	10
46	G.I. Pipe ½"	81 Length	81 Length
47	G.I. Pipe 1"	1 Length	1Length
48	Union 1"	9	9
49	Union 11/4"	1	1
50	Union 11/2" G.I.	3	3
51	Union 2"	1	1
52	Water tank 500 ltr	1	1
53	Waste Pipe 32 mm PVC	2	2
54	Angle Bracket	1	1
55	Anchor Fastener	4	4
56	Nails 1 ½"	8 Kg	8 Kg
57	PVC Pipe 3"	30 Rft.	30 Rft.
58	PVC Pipe 4"	40 Rft.	40 Rft.
59	PVC Pipe 2"	3 Rft.	3 Rft.
60	PVC Elbow 3"	3	3
61	PVC Elbow 4"	2	2
62	PVC Elbow 4"	2	2
63	Clamp 3"	1	1
64	Clamp 4"	1	1
65	Nails 4"	2 Kg	2 Kg
66	Nipple 1" x 3"	15	15

68	M. Seal Plumber 200 gm	3 Pkt	3Pkt
69	Mainhole cover 45 cm x 45 cm	1	1
73	G.I. Socket ¼" Dia	42	42

64 ₹0.34 लाख की वस्तुओं का भण्डार (Stock) में कम गणना करने के कारण सम्भावित दुर्विनियोजन

स्टॉक रजिस्टर के अंकेक्षण करने के दौरान विदित हुआ कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में लगभग ₹33,573 की वस्तुओं का दिनांक 31.3.2014 को अन्तशेष वास्तविक शेष से कम दर्शाया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। अतः इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

स्टॉक रजिस्टर 58 की पृष्ठ संख्या	वस्तु का नाम	आरम्भिक शेष दिनांक 1.4.2012	अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 तक के दौरान		अन्तशेष दिनांक 31.3.14	स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 31.3.14 को दर्शाया गया अन्तशेष	अन्तशेष में अन्तर	वस्तुओं की दर (₹में)	वस्तुओं का कुल मूल्य (₹में)
			Receipt	Consumed					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Elbow ½"	27	12	12	27	Nil	27	22+5% Vat	624
4	Socket ½"	25	6	6	25	Nil	25	20+5% Vat	525
6	Union ½"	32	3	3	32	Nil	32	60+5% Vat	2016
6	Union ½"	16	Nil	Nil	16	Nil	16	60+5% Vat	1008
7	Tee ½"	24	24	4	44	Nil	44	32+5% Vat	1478
9	Nipple ½" x 4"	41	4	4	41	Nil	41	20+5% Vat	861

10	Lime	30 Bag	Nil	Nil	30 bag	20 bag	10 bag		1000 (Aprox)
20	Bib cock (Iron) ½"	77	Nil	Nil	77	7	70	55+5% Vat	4043
30	Hexa blade	17	Nil	Nil	17	12	5	5+ 5% Vat	26
35	Thread	44	2	2	44	20	24	10+ 5% Vat	252
44	G.I. Plug ½"	25	Nil	Nil	25	20	5		125 (Aprox)
45	G.I. Plug 1"	10	Nil	Nil	10	8	2		100 (Aprox)
46	G.I. Pipe ½"	81 length	Nil	Nil	81 length	42 Length	39 Length	474+ 5% Vat	19410
47	G.I. Pipe 1"	1 Length	Nil	Nil	1 Length	Nil	1 Length	870 + 5% Vat	914
48	Union 1"	9	Nil	Nil	9	Nil	9	126+ 5% Vat	1191
								Total	**₹33573**

65 वाहनों की तेल खपत निर्धारित न करना तथा औसत तेल खपत मे भिन्नता पाए जाने सम्बन्धी अनियमितता

अंकेक्षण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहनों के लिए निश्चित की गयी औसत तेल खपत से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण इन वाहनों की प्रतिमाह प्राप्त औसत तेल खपत की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। निम्न विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह औसत तेल खपत की काफी भिन्नता पाई गई जैसे कि Tracter HP-12E-5131 की औसत तेल खपत अधिकतम 3.09 व न्यूनतम औसत 1.47 प्रति लीटर प्रति घण्टे तथा Dumper Place HP-12-9792 की औसत तेल खपत अधिकतम 8.83 व न्यूनतम औसत 5.60 प्रति लीटर प्रति कि0 मी0 थी जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका समाधान अब इन वाहनों की औसत तेल खपत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित करवाकर यदि तेल की अधिक खपत पाई जाती है तो उसके समतुल्य राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रमांक	माह		औसत तेल खपत (प्रति लीटर प्रति घण्टे/कि0मी0)		अभियुक्ति
			Tracter HP-12E-5131	**Dumper Placer HP-12-9792**	
1	2012	4	2.00	7.99	
2		5	2.00	***8.83**	* अधिकतम औसत
3		6	2.00	8.71	
4		7	2.00	8.17	
5		8	2.00	6.36	
6		9	2.00	6.49	
7		10	2.00	7.27	
8		11	2.00	8.60	
9		12	2.00	6.71	
10	2013	1	2.00	7.15	
11		2	2.00	7.59	
12		3	2.16	7.00	
13		4	1.98	8.18	
14		5	2.05	7.62	
15		6	1.74	7.51	
16		7	2.07	7.07	
17		8	2.00	7.60	
18		9	2.73	6.52	
19		10	***3.09**	7.55	*अधिकतम औसत
20		11	2.12	8.36	
21		12	2.00	6.90	
22	2014	1	1.81	***5.60**	*न्यूनतम औसत
23		2	***1.47**	5.94	*न्यूनतम औसत
24		3	2.00	6.44	

66 अभिलेख/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करने के कारण किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद का कितना खर्च हुआ तथा खर्च की राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी

उद्देश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया है कि नहीं इत्यादि की पुष्टि नहीं की जा सकी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी परिषद द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा था :–

1. पैन्शन चैक रजिस्टर
2. गाड़ी की मुरम्मत एवं रख–रखाव के खर्च का रजिस्टर
3. Double Entry System पर आधारित रोकड़ बही; और
4. जरनल एवं लैज़र

67 लघु आपत्ति विवरणिका :– सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणीका अलग से जारी नहीं की गई थी।

68 निष्कर्ष :– लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय–समय पर अध्यतन (Updation) एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितांत आवश्यकता है ताकि परिषद निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः V(10)-Fin(LA)-Vol-3,5507-5508 दिनांकः10–09–2015, शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा 1(ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2) सचिव, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट–''क'' (पैरा संख्याः 1(ग) से सन्दर्भित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–1951 से 1951–1952

1	पैरा 6(ए)(5)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए) (6)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/1955 से 3/1957

1	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत

(ग) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.1957 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1964 से 9/1965

1	पैरा 8(2)(बी)	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1965 से 3/1973

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(6)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(जी)	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 21(जी)	अनिर्णीत
7	पैरा 23(बी)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1973 से 3/1974

1	पैरा 7	आंशिक निर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 16	अनिर्णीत
6	पैरा 17	अनिर्णीत
7	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(7)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1974 से 3/1979

1	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(6)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(7)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(8)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(9)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(10)	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(19)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(20)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(डी)(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(डी)(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत
17	पैरा 15(सी)	अनिर्णीत
18	पैरा 16	अनिर्णीत
19	पैरा 17	अनिर्णीत
20	पैरा 20	अनिर्णीत
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 24	अनिर्णीत
23	पैरा 25	अनिर्णीत
24	पैरा 27	अनिर्णीत
25	पैरा 28	अनिर्णीत
26	पैरा 29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1979 से 3/1980

1	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत

4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा 12(जी)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1980 से 3/1982

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15(डी)	अनिर्णीत
8	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 17	अनिर्णीत

(ञ) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.1981 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1983

1	पैरा 5	अनिर्णीत

2	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 12(ए)(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए)(ii)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1985

1	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 11(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 12(ए)(i)	अनिर्णीत
11	पैरा 12(ए)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
14	पैरा 12(एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा 12(एल)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(एन)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(पी)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
20	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
21	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
22	पैरा 18(ए)	अनिर्णीत

23	पैरा 18(बी)	अनिर्णीत
24	पैरा 19(ए)	अनिर्णीत
25	पैरा 19(बी)	अनिर्णीत
26	पैरा 20(एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा 20(जी)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1986

1	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(5)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा 9	अनिर्णीत
11	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत
21	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
22	पैरा 13(डी)	अनिर्णीत
23	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत

25	पैरा 15(बी)	अनिर्णीत	
26	पैरा 15(सी)	अनिर्णीत	
27	पैरा 15(डी)	अनिर्णीत	
28	पैरा 15(ई)	अनिर्णीत	
29	पैरा 15(एफ)	अनिर्णीत	
30	पैरा 15(जी)	अनिर्णीत	
31	पैरा 15(एच)	अनिर्णीत	
32	पैरा 15(आई)	अनिर्णीत	
33	पैरा 15(जे)	अनिर्णीत	
34	पैरा 16	अनिर्णीत	
35	पैरा 17(बी)	अनिर्णीत	
36	पैरा 17(सी)	अनिर्णीत	
37	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत	
38	पैरा 18(ई)	अनिर्णीत	

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1987

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ए)(1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(ए)(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(ए)(3)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ए)	आंशिक निर्णीत	(₹9078.84 की वसूली शेष)
6	पैरा 6(बी)	आंशिक निर्णीत	(₹9028 की वसूली शेष)
7	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7	अनिर्णीत	
9	पैरा 8(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 8(4)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत	
14	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत	
15	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत	

16	पैरा 12(एफ)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
20	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
21	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
22	पैरा 15(डी)	अनिर्णीत
23	पैरा 15(ई)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा 15(आई)	अनिर्णीत
26	पैरा 15(जे)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(के)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(एम)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(एन)	अनिर्णीत
30	पैरा 17(सी)	अनिर्णीत
31	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत
32	पैरा 17(ई)	अनिर्णीत
33	पैरा 17(एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
35	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
36	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
37	पैरा 18(5)	अनिर्णीत
38	पैरा 18(6)	अनिर्णीत

(ण) अघु आपत्तियाँ

4/74 से 3/79	9 व 11 अनिर्णीत
4/79 से 3/80	5 व 8 अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1990

1	पैरा 5(जी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा 5(जे)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए)	आंशिक निर्णीत

5	पैरा 7(बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा 7(सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत
16	पैरा 16(ए)(1)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(ए)(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(ए)(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 16(ए)(4)	अनिर्णीत
20	पैरा 17(बी)(3)	अनिर्णीत
21	पैरा 17(बी)(4)	अनिर्णीत
22	पैरा 17(बी)(5)	अनिर्णीत
23	पैरा 18	अनिर्णीत
24	पैरा 20(बी)	अनिर्णीत
25	पैरा 20(ई)	अनिर्णीत
26	पैरा 20(एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा 20(जी)	अनिर्णीत
28	लघु आपतियां 4, 6 व 7	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1998 तक

1	पैरा 5(क)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ग)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(ग)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(ग)(3)	अनिर्णीत

7	पैरा 5(ग)(4)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(ग)(5)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ड़)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
13	पैरा 7(क)	आंशिक निर्णीत
14	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(ड़)	अनिर्णीत
20	पैरा 15(i)	अनिर्णीत
21	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
22	पैरा 15(2)(सी)	अनिर्णीत
23	पैरा 15(2)(i)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(2)(ii)	अनिर्णीत
25	पैरा 15(2)(iii)	अनिर्णीत
26	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(4)(i)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(4)(ii)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(4)(iii)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(4)(iv)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(5)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 15(5)(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 15(6)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 15(7)(i)	अनिर्णीत
36	पैरा 15(7)(ii)	अनिर्णीत
37	पैरा 15(7)(iii)	अनिर्णीत

38	पैरा 15(7)(iv)	अनिर्णीत
39	पैरा 15(8)(i)	अनिर्णीत
40	पैरा 15(8)(ii)	अनिर्णीत
41	पैरा 15(8)(iii)	अनिर्णीत
42	पैरा 15(9)	अनिर्णीत
43	पैरा 15(10)	अनिर्णीत
44	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
45	पैरा 16(ii)	अनिर्णीत
46	पैरा 16(iii)	अनिर्णीत
47	पैरा 16(iii)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 16(iii)(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 16(iii)(iii)	अनिर्णीत
50	पैरा 16(iii)(iv)	अनिर्णीत
51	पैरा 16(iii)(v)	अनिर्णीत
52	पैरा 16(iii)(vi)	अनिर्णीत
53	पैरा 16(iii)(vii)	अनिर्णीत
54	पैरा 16(iii)(viii)	अनिर्णीत
55	पैरा 16(iii)(ix)	अनिर्णीत
56	पैरा 16(iii)(x)	अनिर्णीत
57	पैरा 16(iii)(xi)	अनिर्णीत
58	पैरा 16(iii)(xii)	अनिर्णीत
59	पैरा 16(iii)(xiii)	अनिर्णीत
60	पैरा 16(iii)(xiv)	अनिर्णीत
61	पैरा 16(iii)(xv)	अनिर्णीत
62	पैरा 16(iii)(xvi)	अनिर्णीत
63	पैरा 16(iii)(xvii)	अनिर्णीत
64	पैरा 16(iii)(xix)	अनिर्णीत
65	पैरा 16(iii)(xx)	अनिर्णीत
66	पैरा 16(iii)(xxi)	अनिर्णीत
67	पैरा 16(iii)(xxii)	अनिर्णीत
68	पैरा 16(iii)(xxiii)	अनिर्णीत

69	पैरा 16(iii)(xxiv)	अनिर्णीत
70	पैरा 16(iii)(xxv)	अनिर्णीत
71	पैरा 16(iii)(xxvi)	अनिर्णीत
72	पैरा 16(iii)(xxvii)	अनिर्णीत
73	पैरा 16(iii)(xxviii)	अनिर्णीत
74	पैरा 16(iii)(xxix)	अनिर्णीत
75	पैरा 17(घ)	अनिर्णीत
76	पैरा 18(क)(i)	अनिर्णीत
77	पैरा 18(क)(ii)	अनिर्णीत
78	पैरा 18(ख)(i)	अनिर्णीत
79	पैरा 18(ख)(ii)	अनिर्णीत
80	पैरा 18(ख)(iii)	अनिर्णीत
81	पैरा 18(ख)(iv)	अनिर्णीत
82	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
83	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(क)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(क)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(क)(iii)	अनिर्णीत
87	पैरा 19(क)(iv)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(क)(v)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(क)(vi)	अनिर्णीत
90	पैरा 19(क)(vii)	अनिर्णीत
91	पैरा 19(क)(viii)	अनिर्णीत
92	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत
93	पैरा 20	अनिर्णीत
94	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
95	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
96	पैरा 22(i)	अनिर्णीत
97	पैरा 22(ii)	अनिर्णीत
98	पैरा 22(iii)	अनिर्णीत
99	पैरा 22(iv)	अनिर्णीत

100	पैरा 22(v)	अनिर्णीत
101	पैरा 23	अनिर्णीत
102	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
103	पैरा 24(क)(2)	अनिर्णीत
104	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत
105	पैरा 24(ग)	अनिर्णीत
106	पैरा 24(घ)	अनिर्णीत
107	पैरा 24(ड़)	अनिर्णीत
108	पैरा 27	अनिर्णीत
109	पैरा 29(क)	अनिर्णीत
110	पैरा 30	अनिर्णीत
111	पैरा 31	अनिर्णीत
112	पैरा 32	अनिर्णीत
113	पैरा 33(1)(i)	अनिर्णीत
114	पैरा 33(1)(ii)	अनिर्णीत
115	पैरा 33(1)(iii)	अनिर्णीत
116	पैरा 33(1)(iv)	अनिर्णीत
117	पैरा 33(ख)(1)	अनिर्णीत
118	पैरा 33(ख)(3)	अनिर्णीत
119	पैरा 33(ख)(4)	अनिर्णीत
120	पैरा 33(ख)(5)	अनिर्णीत
121	पैरा 33(ख)(6)	अनिर्णीत
122	पैरा 33(ख)(7)	अनिर्णीत
123	पैरा 33(ख)(8)(i)	अनिर्णीत
124	पैरा 33(ख)(8)(ii)	अनिर्णीत
125	पैरा 33(ख)(8)(iii)	अनिर्णीत
126	पैरा 33(ख)(8)(iv)	अनिर्णीत
127	पैरा 33(ख)(9)	अनिर्णीत
128	पैरा 33(ख)(10)	अनिर्णीत
129	पैरा 33(ख)(11)	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/2007 तक

1	पैरा 2	अनिर्णीत	
2	पैरा 4(i)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(v)(i)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(v)(ii)	अनिर्णीत	(₹50 की वसूली की जानी शेष है)
7	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5(1) से 4(xx)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6(1) से (Lii)	अनिर्णीत	
12	पैरा 7	अनिर्णीत	
13	पैरा 8(i) से (vi)	अनिर्णीत	
14	पैरा 9(i) से (xii)	अनिर्णीत	

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 तक

क्र0सं0	पैरा संख्या	टिप्पणी
1	पैरा 3	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत
2	4(1)(2)	अनिर्णीत
3	4(2)(क)	अनिर्णीत
4	4(2)(ग)	अनिर्णीत
5	4(2)(ड़)	अनिर्णीत
6	5(1)	अनिर्णीत
7	6.1	अनिर्णीत
8	6.2	सावधिक जमा का ब्याज बचत खाते में जमा पाए गए निर्णीत
9	6.3	अनिर्णीत
10	7	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत/समाप्त
11	7.1	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत/समाप्त

12	7.2	अनिर्णीत
13	7.3	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
14	7.5	अपेक्षित सूचना उपलब्ध करने तथा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत/समाप्त
15	7.6.1	अनिर्णीत
16	7.7	प्रस्तुत उत्तर व अभिलेख के आधार पर पैरे का पुनरवलोकन करने पर राशि देय नहीं बनती थी। अतः निर्णीत
17	7.8	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
18	7.9	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
19	8	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत/समाप्त
20	8.1	अनिर्णीत
21	9	अनिर्णीत
22	9.1	अनिर्णीत
23	9.2	अनिर्णीत
24	9.3	अनिर्णीत
25	9.4	अनिर्णीत
26	10	अनिर्णीत
27	11	अनिर्णीत
28	12.1	अनिर्णीत
29	12.2	अनिर्णीत
30	12.3	अनिर्णीत
31	12.4	अनिर्णीत
32	13	अनिर्णीत
33	13.1	अनिर्णीत
34	13.2	अनिर्णीत
35	13.3	अनिर्णीत
36	14	अनिर्णीत
37	14.1	अनिर्णीत
38	15	अनिर्णीत
39	15.1.1	अनिर्णीत

40	15.1.2	अनिर्णीत
41	15.2	अनिर्णीत
42	15.3	अनिर्णीत
43	15.4	अनिर्णीत
44	16.1	अनिर्णीत
45	16.2	अनिर्णीत
46	16.3	अनिर्णीत
47	16.4	अनिर्णीत
48	16.5	अनिर्णीत
49	16.6	अनिर्णीत
50	16.7	अनिर्णीत
51	16.8	अनिर्णीत
52	16.9	अनिर्णीत
53	16.10	अनिर्णीत
54	17.1	अनिर्णीत
55	17.2	अनिर्णीत
56	17.3	अनिर्णीत
57	17.4	अनिर्णीत
58	18	अनिर्णीत
59	18.1	अनिर्णीत
60	18.2	अनिर्णीत
61	18.3	अनिर्णीत
62	19	अनिर्णीत
63	20	अनिर्णीत
64	21	अनिर्णीत
65	22	अनिर्णीत
66	23	अनिर्णीत
67	24	अनिर्णीत
68	24.1	अनिर्णीत
69	24.2	अनिर्णीत
70	24.2.1	अनिर्णीत

71	24.3	अनिर्णीत
72	24.4	अनिर्णीत
73	24.4.1	अनिर्णीत
74	24.4.2	अनिर्णीत
75	24.4.2.1	अनिर्णीत
76	24.2.2	अनिर्णीत
77	24.5	अनिर्णीत
78	24.5.1	अनिर्णीत
79	24.6	अनिर्णीत
80	25	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
81	25.1	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
82	25.2	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
83	26	अनिर्णीत
84	26.1	अनिर्णीत
85	26.2	अनिर्णीत
86	26.3	वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना से प्रदत्त वेतनमानों का सत्यापन करने पर निर्णीत
87	26.4	अनिर्णीत
88	26.5	अनिर्णीत
89	26.6	अनिर्णीत
90	26.7	अनिर्णीत
91	26.8	अनिर्णीत
92	27	अनिर्णीत
93	29	अनिर्णीत
94	30	अनिर्णीत
95	31	अनिर्णीत
96	32	अनिर्णीत
97	32.1	अनिर्णीत
98	32.2	अनिर्णीत
99	32.3	अनिर्णीत
100	33	अनिर्णीत

101	34	अनिर्णीत
102	35	अनिर्णीत
103	36	अनिर्णीत
104	38	अनिर्णीत
105	40	अनिर्णीत
106	41	अनिर्णीत
107	42	अनिर्णीत
108	43	अनिर्णीत
109	43.1	अनिर्णीत
110	44	अनिर्णीत
111	44.3	अनिर्णीत

(अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012 तक)

क्रमांक	पैरा संख्या	टिप्पणी
1	3	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत
2	4(1)	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत
3	4(2)(क)	अनिर्णीत
4	4(2)(ख)	अनिर्णीत
5	4(2)(ग)	अनिर्णीत
6	4(2)(घ)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
7	4(2)(ड़)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
8	4(2)(च)	वर्णित आय के चैक की राशि बैंक खाते में जमा होने पर निर्णीत
9	5(1)	वर्णित अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को अग्रेषित करने पर निर्णीत
10	6(1)	सावधिक निवेश रजिस्टर प्रस्तुत करने पर निर्णीत
11	6(2)	सावधिक जमा पर ब्याज बचत खाते में जमा पाए जाने पर निर्णीत
12	6(3)	वर्णित राशि वास्तविक में TDS थी जिसका refund बचत खाते में जमा होने पर निर्णीत
13	6(4)	सावधिक जमा पर अर्जित ब्याज का अभिलेख प्रस्तुत करने पर निर्णीत

14	7	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम अध्यतन स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत/समाप्त
15	8	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम अध्यतन स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत/समाप्त
16	9	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम अध्यतन स्थिति के प्रारूपण पर निर्णीत/समाप्त
17	10	बिजली बोर्ड से वर्णित बिजली शुल्क की प्राप्ति पर निर्णित
18	11	आबकारी एवं कराधान विभाग से वर्णित शराब उपकर की प्राप्ति पर निर्णीत
19	12	अनिर्णीत
20	12	अनिर्णीत
21	14	अनिर्णीत
22	15	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
23	16	अनिर्णीत
24	17	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
25	18	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
26	19	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
27	20	प्रस्तुत औचित्य अनुसार वस्तु स्थिति के पुनरावलोकन करने पर निर्णीत
28	21	अनिर्णीत
29	22	अनिर्णीत
30	23	अनिर्णीत
31	24	अनिर्णीत
32	25	अनिर्णीत
33	26	अनिर्णीत
34	27	अनिर्णीत
35	28	अनिर्णीत
36	29(1)	अनिर्णीत
37	29(2)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
38	29(3)	अनिर्णीत
39	30	अनिर्णीत

40	31	अनिर्णीत
41	32	अनिर्णीत
42	33	अनिर्णीत
43	34	अनिर्णीत
44	35	अनिर्णीत
45	36	अनिर्णीत
46	37	अनिर्णीत
47	38	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
48	39(क)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
49	39(ख)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
50	39(ग)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
51	39(घ)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
52	39(ड़)	अनिर्णीत
53	40	अनिर्णीत
54	41	वर्णित व्यय वाऊचर के अंकेक्षण में प्रस्तुत करने पर निर्णीत
55	42	अनिर्णीत
56	43	वर्णित राशि को पैन्शन निधि में जमा करने पर निर्णीत
57	44	अनिर्णीत
58	45	अनिर्णीत
59	46(i)	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
60	46(ii)	वर्णित अभिलेख की सत्यापना करने पर (निर्णीत)
61	47(क)	अनिर्णीत
62	47(ख)	अनिर्णीत
63	47(ग)	अनिर्णीत
64	47(घ)	अनिर्णीत
65	48(क)	अनिर्णीत
66	48(ख)	अनिर्णीत
67	49	अनिर्णीत
68	50	अनिर्णीत
69	51	अनिर्णीत
70	52(क)(i),(ii) व (iii)	अनिर्णीत

71	52(क)(iv),(क) से (यं)	अनिर्णीत
72	53	अनिर्णीत
73	54	अनिर्णीत
74	55	अनिर्णीत
75	56(क)	अनिर्णीत
76	56(2)	अनिर्णीत
77	57	अनिर्णीत
78	58(i)	अनिर्णीत
79	58(ii)	अनिर्णीत
80	58(iii)	अनिर्णीत
81	58(iv)	अनिर्णीत
82	58(v)	अनिर्णीत
83	59(i)	अनिर्णीत
84	59(ii)	अनिर्णीत
85	59(iii)	अनिर्णीत
86	59(iv)	अनिर्णीत
87	60(i)	अनिर्णीत
88	60(ii)	अनिर्णीत
89	60(iii)	अनिर्णीत
90	61(i)	अनिर्णीत
91	61(ii)	अनिर्णीत
92	61(iii)	अनिर्णीत
93	61(iv)	अनिर्णीत
94	61(v)	अनिर्णीत
95	62(i)	अनिर्णीत
96	62(ii)	अनिर्णीत
97	62(iii)	अनिर्णीत
98	63	अनिर्णीत
99	64	अनिर्णीत